

भारत सरकार
महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
(गृहमंत्रालय)

ब्लाक न0 13, के0 का0 परिसर
लोधी रोड, नईदिल्ली- 110003

पत्रांक:ई-32021(1)/1/भर्ती/Sports-2025/2025/ 1184
सेवा में

दिनांक 10 मई, 2025

1. The Director, Employment,
Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Gujarat,
Himachal Pradesh, Haryana, Jammu & Kashmir, Kerala, Karnataka,
Lakshadweep, Meghalaya, Maharashtra, Manipur, Madhya Pradesh,
Nagaland, Orissa, Punjab, Pondicherry, Rajasthan, Sikkim,
Tamilnadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal.
2. The Administrator, Dadra & Nagar Haveli
3. The Home Secretary, Chandigarh, Sector-9, Chandigarh
4. The Labour Commissioner, A & N Island & Uttarakhand
5. The Development Commissioner, Daman & Diu
6. Employment & Training Department, Govt. of Jharkhand, Ranchi,
Jharkhand
7. Department of Labour & Employment, Arunachal Pradesh & Mizoram

**Subject : RECRUITMENT OF MERITORIOUS SPORTSWOMEN FOR HOCKEY
DISCIPLINE IN CISF AGAINST SPORTS QUOTA - 2025 : REG.**

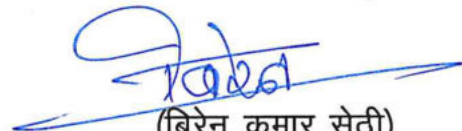
Sir,

I am directed to forward a copy of notification published in the Employment News dated 10.05.2025 – 16.05.2025 for recruitment of meritorious Sportswomen in CISF to the post of Head Constable (General Duty) against sports quota-2025 (Hockey Discipline only) for wide publicity amongst the eligible youths.

2. The closing date for receiving of applications through post is **30.05.2025**.

सलग्न: यथोपरोक्त

Yours sincerely


(बिरेन कुमार सेठी)
सहायक महानिरीक्षक/भर्ती



CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

NOTICE

RECRUITMENT OF MERITORIOUS SPORTS WOMEN FOR HOCKEY DISCIPLINE TO THE POST OF HEAD CONSTABLE (GENERAL DUTY) AGAINST SPORTS QUOTA- 2025 IN CISF

**Dates of submission of online applications: 11/05/2025 to 30/05/2025
Closing date : 30/05/2025 (upto 23:59 Hrs)**

Online applications are invited from eligible **Female Indian citizens** for filling up **30 vacancies of HEAD CONSTABLE (GENERAL DUTY) AGAINST SPORTS QUOTA-2025 (HOCKEY DISCIPLINE ONLY)** in Central Industrial Security Force in the **Pay Level-4 (Rs.25,500-81,100/)** plus usual allowances as admissible to the Central Government employees from time to time. On their appointment, they shall be governed under CISF Act and Rules as well as Central Civil Services Rules applicable to other members of the Force from time to time. They shall be entitled for the pensionary benefits as per the **“Defined Contributory Pension system known as the National Pension System”** applicable to all employees joining service of Central Government on or after 1st January 2004. The recruitment process will consist of Trial Test, Proficiency Test, Physical Standard Test (PST), Documentation and Medical Examination. The salient features of the recruitment are as under:-

1.1 Applications will be accepted through **“Online”** mode only.

1.2 The recruitment shall have following two stages:-

1. 1st stage:

- a) Trial Test
- b) Proficiency Test
- c) Physical Standard Test (PST) &
- d) Documentation

2. 2nd stage

Medical Examination

1.3 Verification of required eligibility certificates / documents including Sports Certificate with the originals will be carried out at the time of Documentation.

1.4 Vacancies of Head Constable (General Duty) against Sports Quota (Hockey Discipline) will be filled on all India basis.

- 1.5 The final result will be declared on the basis of marks secured by the candidates in the Proficiency Test and the marks accorded to the candidate having meritorious certificate/achievement subject to their qualifying the Trial Test, Proficiency Test, Physical Standard Test (PST), Documentation, Medical Examination and other conditions stipulated in this Notification.
- 1.6 The call-up letter / Admit Card for all stages of recruitment will exclusively be issued to the candidates through **online mode only** on CISF Recruitment website <https://cisfrectt.cisf.gov.in/> with facility to download the same and **will not be sent by post**. Candidates are therefore advised to regularly visit the CISF Recruitment website for any update on the recruitment process. Candidates are required to bring the same while attending the test.
2. **Pay Scale** : Pay Level-4 (Rs.25,500-81,100)
3. **Nationality/ Citizenship** : Candidate must be a citizen of India.
4. **Vacancies** :- **Hockey discipline female candidates only – 30 Post**
- 4.1 The above vacancies are tentative and may increase or decrease at any time/any stage of recruitment process, due to administrative reasons. The revision in vacancies, if any, will be notified at any stage prior to declaration of final result by displaying the same on CISF recruitment website i.e. <https://cisfrectt.cisf.gov.in/>.
5. **Salient features** :
- 5.1 Applications must be submitted in online mode only at the official website of CISF i.e. <https://cisfrectt.cisf.gov.in/> No other mode of submission of application is allowed. **As the posts are available only for female candidates hence male candidates are not eligible to apply for the recruitment.**
- 5.2 While filling up online application form, candidates must ensure to fill the correct identity Card Number in her application (i.e. AADHAR Number, Driving License, Voter ID Card, Identity Card issued by University/College or Income Tax Pan Card Number). The same will be produced at the examination centre during each stage of recruitment. Biometric data of candidates will be recorded during the 01st stage of recruitment and will be utilized at subsequent stages of recruitment for verifying candidate's identity.
- 5.3 **Application fee: Since the advertisement is published only for recruitment of female candidates, hence no application fee will be charged from any candidate.**
- 5.4 The Call up letter/Admit card for all stages of recruitment as mentioned below will be issued to the candidates through **online mode only** at CISF recruitment website https://cisfrectt.cisf.gov.in with facility to download the same and **will not be sent by post**. i.e. for

- (a) Trial/Proficiency Test, PST & Documentation
- (b) Detailed Medical Examination

Candidates are therefore advised to visit the CISF recruitment website <https://cisfrectt.cisf.gov.in> regularly for any update on the recruitment process. Candidates are required to bring the same while attending the test/examination.

- 5.5 The posts are combatised and purely temporary in nature but likely to become permanent.
- 5.6 Candidates selected for appointment are liable to serve anywhere in Indian Territory and abroad.
- 5.7 Inclusion of name in provisional selected list does not guarantee selection.
- 5.8 Adequate measures and modern means at different stages will be carried out in order to ensure a smooth, transparent and fair recruitment process.
- 5.9 Caste certificates having the following details in respect of reserved category candidates may be accepted as per prescribed proforma :-
 - a) Name of candidate, Father's name, locality/village/town from where they belong.
 - b) Certificate issued by the appropriate/prescribed authority.
 - c) Authority of Govt. of India resolution is correctly mentioned in caste certificate which justifies that claim of individual against reserved category is genuine.
 - d) Caste as mentioned in the caste certificate of the individual is included in the central list as notified by Central Government for that category.

6. **Eligibility Criteria**

6.1 **Educational Qualification:**

12th pass from a recognised educational Institution with credit of representing State / National / International in hockey.

(Educational certificate other than State Board/Central Board should be accompanied with Government of India notifications declaring that such qualification is equivalent to 12th class pass for service under Central Government).

- 6.2 **Age Limit** : Between 18 to 23 years as on **01.08.2025**. Candidates should not have been born earlier than **02/08/2002** and later than **01/08/2007**.

- 6.2.1. Permissible relaxation in upper age limit for different categories are as under:-

Sl. No.	Category	Age relaxation permissible beyond the upper age limit
i)	Scheduled Caste / Scheduled Tribe	Upto 5 years in upper age limit.
ii)	Other Backward Class	Upto 3 years in upper age limit.
iii)	Departmental candidates who have rendered at least 3 years of continuous service under central Government.	Upto 45 years for SC/ST in upper age limit. Upto 40 years for Gen/EWS/OBC in upper age limit.

6.3 Participation in Sports events :-

Sports qualification	For the post of Head Constable/GD under Sports Quota (Hockey Discipline)
Team Event	i) Should have represented the country as a member of Senior/Junior International tournament Or ii) Should have represented in State team or equivalent unit, in National Games/Championship in Senior/Junior level Or iii) Member of medal winning team in All India Inter-University Championship Or iv) Gold Medal in National School Games/ Championship. Note: The person should have been the playing member of the team.

- 6.3.1 Only those meritorious Sportswomen who fulfil the above eligibility criteria and have participated in the relevant games/championships **during the period from 01/01/2023 to 30/05/2025 will be eligible for applying for the post.**
- 6.3.2 The application should be considered in light of the evidence provided by applicant regarding her participation in any Competition / Tournament / Games.
- 6.3.3 The Championships / Games conducted by the following authority will be considered:-
- International tournaments approved by Ministry of Youth Affairs and Sports.
 - Senior/Junior level national Championships organised by the National Sports Federations recognised by Department of Youth Affairs & Sports or National Games organised by Indian Olympic Association.
 - Inter-University competition conducted by Association of Indian Universities/Inter University Sports Board.
 - National sports/games for schools conducted by the All India School Games Federation.

- 6.3.4 In addition to Sports Certificate, the Certificate (Form) issued on the prescribed format under the signature of following authorities are also required.

S.No.	Competition	Authority awarding certificate	Specimen
1.	International Competition	Secretary of the National Federation of Hockey.	APPENDIX - "A"
2.	National Competition	Secretary of the National Federation or Secretary of the State Association of Hockey.	APPENDIX - "B"
3.	Inter-University Tournaments	Dean of Sports or other officer in overall charge of sports of the University concerned.	APPENDIX - "C"
4.	National Sports/ Games for Schools	Director or Additional /Joint or Deputy Director in overall charge of Sports/ Games for Schools in the Directorate of Public Instructions/ Education of the State.	APPENDIX - "D"

- 6.3.5 Certificates (Forms) issued by the recognised federations/associations on the basis of actual participation and achievement in the National Level Competitions may be given the weightage in addition to the certificates issued by the above authorities.

- 6.3.6 In case, the post of Secretary is not available in National Federation / National Association / State Association, the Certificates (Forms) signed by Senior functionaries and holding position Senior/equivalent to the Secretary in the Hockey Federations / Associations will be accepted for considering the eligibility of meritorious Sportswomen for recruitment.

6.4. **Physical Standards :**

Female candidates :-

- Height (For UR, SC, EWS and OBC candidates except those mentioned in para No.6.4.1) – 153 Cms.
- Chest – Not applicable.

- 6.4.1. Permissible relaxation in Physical Standards for different categories of candidates are as under :-

Sl. No.	Relaxation for	Height
		Female
i)	Candidates hailing from hill areas i.e. Garhwalis, Kumaonese, Dogras, Marathas, *Gorkhas and Adivasis subject to production of certificate as per Annexure-“VI” . The above standards will be applicable for all categories i.e. UR, EWS, OBC & SC.	153 Cms

	* Candidates hailing from Gorkha Territorial Administration (GTA) comprising of the three Sub-Divisions of Darjeeling District namely Darjeeling, Kalimpong and Kurseong and includes the following “Mouzas” Sub-Division of these Districts : (1) Lohagarh Tea Garden (2) Lohagarh Forest (3) Rangmohan (4) Barachenga (5) Panighata (6) ChotaAdalpur (7) Paharu (8) Sukna Forest (9) Sukna Part-I (10) Pantapati Forest-I (11) Mahanadi Forest (12) Champasari Forest (13) SalbariChhat Part-II (14) Sitong Forest (15) Sivoke Hill Forest (16) Sivoke Forest (17) ChhotaChenga (18) Nipania	
ii)	All candidates belonging to Scheduled Tribes	153 Cms

6.5 Medical Standards: - The shortlisted candidates will be medically examined by the Medical Boards to assess their physical and medical fitness. The candidates have to meet the medical standards as prescribed in the Uniform Guidelines for recruitment Medical Examination for GOs and NGOs in CAPFs and ARs issued vide MHA UO No.A.VI-1/2014-Rectt(SSB) dated 20.05.2015 and MHA OM No.E-32012/ADG(Med)/ DME & RME/DA-1/2020(Part File)/1166 dated 31.05.2021 and other instructions issued by the Government from time to time.

Note-I Candidates who have not acquired the essential qualification as on closing date for receipt of application form i.e. 30.05.2025, will not be eligible and need not apply.

Note-II Candidates should note that the Date of Birth and Name as recorded in the Matriculation/ Secondary School Examination Certificate or an equivalent certificate will only be accepted for determining the age and name. No subsequent request for any change in the Date of Birth or Name will be considered.

7. Process of Certification and format of certificate :-

7.1 Candidate claiming age relaxation on basis of OBC status must ensure that she possess the caste/community certificate and does not fall in creamy layer on the crucial date. The crucial date for this process will be the closing date for receipt of application i.e. **30/05/2025** Candidate may also note that in respect of the above, their candidature will remain provisional till the veracity of the concerned documents is verified by the Appointing Authority.

7.2 Candidate who wish to seek age relaxation must submit requisite certificate from the competent authority in the prescribed format as per **Annexure – ‘III’ & ‘IV’** as the case may be. Otherwise their claim for SC/ST/OBC status will not be entertained.

- 7.3 For candidate belonging to EWS category, she should produce Income and Asset Certificate as per **Annexure - 'V'** issued by the competent authority. The crucial date for submitting Income and Asset Certificate will be the closing date for receipt of application i.e. **30/05/2025** Candidates may also note that in respect of the above, their candidature will remain provisional till the veracity of the concerned document is verified by the Appointing Authority.
- 7.4 Candidates are cautioned that their candidature will be cancelled forthwith if any claim of SC/ST/OBC/EWS status or any other benefit is found to be fraudulently.
8. **How to apply :-**
- 8.1 Applications must be submitted in **online mode only** on CISF official website i.e. <https://cisfrectt.cisf.gov.in/>. For detailed instructions, please refer to **Annexure-I & II** of this Notification. No other mode of submission of application is allowed.
- 8.2 Details of Regional Recruitment Centre is mentioned below:-

S. No.	Name of Discipline	Name of Regional Recruitment Centre with address
1.	Hockey	Dy. Inspector General, CISF RRC NCR Zone Hqrs., CISF 5th Rb Battalion campus, Ghaziabad, Post-Shipra Sun City, Dist-Ghaziabad, State : Uttar Pradesh-201014. (E-mail Id : digncr@cisf.gov.in)

- 8.3 In the online Application Form, candidates are required to upload the following documents :-
- **Uploading of Photograph** - Recent scanned colour passport size photograph duly printed with date of photograph (**i.e. should not be more than 3 months old from the date of publication of this Notification**) in JPEG format (20 KB to 50KB) to be uploaded in the online form of the examination. Image dimension of the photograph should be about 3.5 cm (width) x 4.5 cm (height). The photograph should be without cap, spectacles and both ears should be visible. **The date on which the photograph has been taken should be clearly printed on the photograph. Applications without the date printed on photograph shall be rejected. Applications with blurred photograph shall also be rejected.**
 - **Uploading of Signature** - Scanned signature in JPEG format (10 KB to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height). **Applications with illegible signature shall be rejected.**

- **Uploading of documents** – Candidate is required to upload the scanned copies of supporting documents only with regard to her age and educational qualification **in PDF format (not more than 01 MB)**.

- 8.4 Last date and time of submission of online applications is **30/05/2025 (23:59 hrs)**
- 8.5 **Candidates are advised in their own interest to submit online applications much before the closing date and not to wait till the last date to avoid any possibility of disconnection/ inability or failure to login to the website on account of heavy load on the website during the days preceding the closing date.**
- 8.6 Before submission of the online application, candidates must check that they have filled correct details in each field of the form. **After submission of the online application form, no change/ correction/ modification will be allowed under any circumstances.** Any request received in this regard will not be entertained.
- 8.7 The candidates must have their own personal active e-mail ID and mobile number and the same be furnished in the online Application Form, since important information relating to recruitment will be given to them through SMS or email.

9. **Admission to the Examination :**

- 9.1. All candidates who register themselves in response to this advertisement by the closing date and time and whose applications are provisionally accepted and found to be in order as per the terms and conditions of this Notification, will be assigned Roll numbers and issued with Admit Card for appearing in the Trial Test/Proficiency Test/PST and Documentation. Subsequently, qualified candidates will be issued Admit Cards for the next stage of the Recruitment (i.e. Medical Examination).
- 9.2 The department will undertake detailed scrutiny of applications for eligibility and other aspects at the time of Trial Test/Proficiency Test/PST and Documentation. As such, candidature will be accepted only provisionally. The candidates must go through the requirement of educational qualification, age, physical and medical standards etc. and satisfy themselves that they are eligible for the post. If any claim made in the application is not found substantiated during the entire recruitment process, the candidature will be cancelled.
- 9.3 Candidates must write Registration Number, registered E-mail ID and Mobile Number along with name, date of birth and name of the recruitment, while addressing any communication. Communication from the candidate not furnishing these particulars shall not be entertained.

- 9.4 Admit card for Trial Test/Proficiency Test/PST/Documentation and Medical Examination can be downloaded from CISF Recruitment website <https://cisfrecr.cisf.gov.in/> and candidate must bring printout of the Admit Card at the assigned recruitment centre.
- 9.5 In case candidates are unable to download Admit Cards from the website, candidates may contact **CISF helpline 011-24366431 / 24307933** at least one week before the Trial Test/Proficiency Test/PST and Documentation or Medical Examination.
- 9.6 In addition to the Admit Card, it is mandatory to carry four passport size recent colour photographs duly printed the date of photograph (**i.e. not more than three months old from the date of publication of this Notification**), original valid Photo-ID proof duly printed the date of birth such as Aadhaar Card/Printout of E-Aadhaar, Voter's ID Card, Driving License, PAN Card, Passport, ID Card issued by University/College/School, Employer ID Card (Govt./PSU), Any other photo bearing ID card issued by the Central/ State Government.
- 9.7 If the Photo Identity Card does not have the date of birth printed on it then the candidate must carry an additional original document (e.g. Matriculation Certificate, Marks Sheets issued only by CBSE/ICSE/State Boards, Birth Certificate) as proof of his date of birth. In case of mismatch in the date of birth mentioned in the Admit card and photo ID/Certificate brought in support of date of birth, the candidate will not be allowed to appear in the recruitment process.
- 9.8 Any other document mentioned in the Admit Card shall also be produced by the candidates while appearing in subsequent stage.

10. Recruitment process :

The different stages of recruitment shall be conducted as per the following sequence:-

1st stage :

- a) Trial Test
- b) Proficiency Test
- c) Physical Standard Test (PST)
- d) Documentation

2nd stage :

Medical Examination.

All candidates who register themselves in response to this advertisement before the closing date and time and whose applications are provisionally accepted and found to be in order will be called for the 1st stage of recruitment ie. Trial Test / Proficiency Test / Physical Standard Test (PST) and Documentation. Therefore, it will be the responsibility of the candidates to verify their eligibility as prescribed in this notice before appearing the examination.

10.1 TRIAL TEST :-

- 10.1.1 On reporting identity verification of candidates shall be carried out.
- 10.1.2 To obviate impersonation during recruitment, bio-metric (LTI) registration of the candidates should be taken. Bio-metric registration should be used at subsequent stages of the recruitment to verify the identity of the candidate i.e. Medical Examination and at the time of joining at the RTCs.
- 10.1.3 After bio-metric (LTI) registration, all candidates have to submit their written consent to undergo Trial/Proficiency Test, Physical Standard Test and Documentation.
- 10.1.4 After successful verification of identity, submission of written consent and biometric registration, candidates will undergo Trial Test of 20 marks in the sports event i.e. Hockey. Trial Test will be qualifying in nature. **However the minimum cut off marks in Trial Test will be 10 marks.**
- 10.1.5 Candidates who do not secure minimum cut off marks in Trial Test will be eliminated from the recruitment process by giving rejection slip intimating reasons thereof by the Recruitment Board.
- 10.1.6 Appeal for re-conduct of Trial Test will not be entertained.

10.2 PROFICIENCY TEST :

All the candidates declared qualified in Trial Test will undergo Proficiency Test of 40 marks in the sports event. The minimum cut off marks in Proficiency Test will be 20 marks.

- 10.2.1 Candidates who do not secure minimum qualifying marks in Proficiency Test will be rejected by giving rejection slip intimating reasons thereof by the Recruitment Board.
- 10.2.2 Merit will be drawn on the basis of marks scored by the candidates in Proficiency Test and marks accorded to the candidates having meritorious certificates/achievement in Hockey discipline.
- 10.2.3 Appeal for re-conduct of Proficiency Test will not be entertained.

10.3 PHYSICAL STANDARD TEST (PST)

- 10.3.1 Candidates who qualify in Trial & Proficiency Test will undergo Physical Standard Test (PST).
- 10.3.2 Candidates will be measured for height and weight by the Board of Officers. The candidates who meet the requirements of physical standard will be allowed to participate in further recruitment process. Physical Standards has been elaborated in para-6.4 above.

- 10.3.3 Candidates who are declared not qualified in Physical Standards i.e. height may prefer an appeal on the same day, if they so desire, to the Appellate Authority against rejection in physical measurement. Such candidates will be re-measured either on the same day or will be given a fresh date to appear for re-measurement by the Appellate Authority. The decision of the appellate authority in this regard will be final and no further appeal or representation will be entertained thereafter. If candidate is found to be within the prescribed standard, she will be allowed to the next stage of the selection process.
- 10.3.4 **The candidates who do not fulfill the laid down physical standards will be eliminated from recruitment process by giving rejection slip, thereof. Weight will be recorded at the time of physical measurements but the decision on fitness on account of weight will be taken at the time of Detailed Medical Examination (DME).** The candidates who meet the required physical standard will be allowed to participate in the Documentation.

10.4 DOCUMENTATION :

Candidates who qualify in Trial Test, Proficiency Test & Physical Standard Test (PST) will undergo Documentation. Following Original testimonial/ documents of the candidates will be scrutinized. Candidates who fail to produce requisite original testimonials / certificates will be eliminated from the recruitment process by giving rejection slip intimating reasons thereof by the Presiding Officer and **no candidates will be allowed provisionally.**

- (i) Educational certificates (12th pass or its equivalent).
- (ii) Date of birth certificate. (Matriculation or 10th pass certificate).
- (iii) SC/ST, OBC and EWS Certificate, if applicable. It should be in the proforma as prescribed in **Annexure-III, IV & V** respectively. Caste certificates which are not in prescribed manner as specified in this advertisement notice will not be accepted.
- (iv) Certificates of Sports achievements as mentioned in para-6.3.
- (v) Certificates (Forms) issued by the recognized federations/associations as per **Appendix-'A' TO 'D'**, as the case may be,
- (vi) No Objection Certificate in case of persons serving in Govt./Semi-Govt. Departments from their Head of Office as per format given in **Annexure-VI.**
- (vii) Four passport size recent photographs of the candidates duly printed the date of photograph (**i.e. not more than three months old from the date of publication of this Notification**).

(viii) The candidates must carry photo bearing identification proof such as Driving License, Voter Card, Aadhaar Card, Identity Card issued by University/College, Income Tax Pan Card **in original** which he has mentioned / filled in application form.

10.4.1 CISF at its discretion can check or verify genuineness of any certificate produced by the candidate during recruitment and the decision of CISF after such verification/checking shall be final.

10.4.2 After completion of Documentation the marks (out of 10 marks) will be accorded to the candidates having meritorious certificate/achievement in the Hockey.

10.4.3 There shall be no appeal against rejection in documentation.

11. MEDICAL EXAMINATION :

11.1 Only those candidates who have qualified in Trial Test, Proficiency Test, Physical Standard Test (PST) and Documentation will be shortlisted on the basis of their performance in Proficiency Test and the marks (Out of 10 Marks) accorded to the candidate having meritorious Sports Certificates/Achievements in the Hockey Discipline for appearing in the Detailed Medical Examination. **The number of candidates shortlisted for Medical Examination (DME/RME) will be about 2 (two) times of the number of vacancies notified.**

11.2 The shortlisted candidates will be medically examined by the Medical Boards to assess their physical and medical fitness. The candidates have to meet the medical standards as prescribed in the Uniform Guidelines for recruitment Medical Examination for GOs and NGOs in CAPFs and ARs issued vide MHA UO No.A.VI-1/2014-Rectt(SSB) dated 20th May, 2015 and MHA OM No.E-32012/ADG(Med)/ DME & RME/DA-1/2020(Part File)/1166 dated 31.05.2021 and other instructions issued by the Government from time to time. However, being called & declared Fit in Medical Examination does not give them the right of final selection. Thus their claim for selection on such ground will not be entertained as final selection will solely be based on merit as well as availability of vacancy.

11.3 The candidate must not have knock knee, flat foot, bow legs, squint eyes, inability to close the left eye, inability to flex the fingers often, varicose vein and any other obvious deformities and should bear good mental health.

11.4 **Tattoo:** Following criteria has been fixed to determine permissibility of Tattoo:

(a) **Content:** Being a secular country, the religious sentiments of our countrymen are to be respected and thus, tattoos depicting religious symbol or figures and the name, as followed in Indian Army are to be permitted.

(b) **Location:** Tattoos marked on traditional sites of the body like inner aspect of fore arm, but only left forearm, being non saluting limb or dorsum of the hands are to be allowed.

(c) **Size:** Size must be less than $\frac{1}{4}$ of the particular part (Elbow or Hand) of the body.

11.5 In all the cases, a candidate, who has been declared medically UNFIT in the Medical Examination will be communicated the grounds for rejection in broad terms in writing by the Medical Officer. All candidates declared unfit during Detailed Medical Examination (DME) will be allowed to undergo Review Medical Examination (RME), provided they give their written consent by appending their signature on the intimation indicating the reasons for being unfit. The RME of candidates will be conducted in continuation of DME preferably on the next day of DME. The consent for RME duly signed by the candidate should be submitted within 24 hours after candidate is informed of her unfitness in DME.

11.6 Candidates will be declared either FIT or UNFIT. No candidate will be declared as temporary unfit.

11.7 **No appeal will be entertained against the findings of the Review Medical Board in Review Medical Examination.**

Note : Colour vision test should be done once at the time of recruitment and later on at the time of basic training.

12. DRAWAL OF FINAL MERIT/ SELECT LIST :

12.1.1 After completion of Trial Test, Proficiency Test, Physical Standard Test (PST), Documentation and Medical Examination Final Merit/Select List will be drawn equal to the notified vacancies.

12.1.2 Candidate will be given marks for any one highest medal secured by her during the period from **01/01/2023 to 30/05/2025**. If any candidate has secured more than 01 medal, in that case she shall be awarded marks for only the highest medal/position secured in the Competition/ Tournament /Games.

12.1.3 Priority would be accorded to team events, chronologically, as given below:-

A) International Tournament/ Championship.	B) National Tournament/ Championship
1) 1st Gold Winner	1) 1st Gold Winner
2) 2nd Silver Winner	2) 2nd Silver Winner
3) 3rd Bronze Winner	3) 3rd Bronze Winner

12.1.4 If tie persists, the younger players will be given preference. If tie still persist, candidate's name in alphabetical order in English will be given priority.

12.1.5 Success at any stage of the Recruitment does not confer any right of appointment unless department is satisfied after such verification as it may deemed necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

12.1.6 Final result will be published on CISF Recruitment website i.e. <https://cisfrecr.cisf.gov.in/>.

12.1.7 No waiting list will be kept/maintained.

Note-I The candidates applying for the Recruitment should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for the post. Their admission at all the stages of recruitment will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If, on verification, at any time before or after the Trial Test/Proficiency Test/PST & Documentation and medical examination, it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions; their candidature for the examination will be cancelled forthwith by the department.

Note-II In case, any candidate is found ineligible or found to be suppressing facts whatsoever at any stage/time, her candidature/ selection /appointment shall be cancelled forthwith.

13. **DECISION** : The decision of the board/ department in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications, penalty for false information, mode of selection, conduct of tests, allotment of recruitment centres and preparation of merit list etc. will be final and binding on the candidates and no enquiry/ correspondence will be entertained in this regard.

14. **COURTS JURISDICTION**: Any dispute with regard to this recruitment will be subject to courts/tribunals having jurisdiction over the City/Town in which the concerned Recruitment Centre of CISF is situated or where the candidate has submitted her application.

15. **IMPORTANT INSTRUCTIONS TO CANDIDATES :**

15.1 The application should be considered in light of the evidence furnished by the applicant, demonstrating her participation in any of the Competition/ Tournament/Games as mentioned in para-6.3.

15.2 Candidates seeking reservation benefits such as SC/ST/OBC/EWS or any other relaxation as per the provisions of this advertisement must ensure that they are entitled to such reservation/ relaxation. They should be in possession of the relevant certificates in original in the prescribed format in support of their claim when the copies of the certificates are sought.

- 15.3 **Persons with Disabilities (PwD)/Differently abled candidates are not eligible to apply for this examination.**
- 15.4 Candidates are advised to fill their correct and active e-mail addresses and mobile number in the online application as correspondence may be made through e-mail/SMS.
- 15.5 Candidates must enter their names, date of birth, father's name and mother's name strictly as given in their matriculation certificate.
- 15.6 An application will be summarily rejected at any stage of the recruitment process for having incomplete information / wrong information / incomplete requisite certificates / misrepresentation of facts / left unsigned.
- 15.7 Request for change/ correction in any particulars in the Application Form, once submitted, will not be entertained under any circumstances.
- 15.8 When application is successfully submitted, it will be accepted 'Provisionally'. Candidates should take printout of the application form for their own records. The printout of the 'Application Form' is not required to be submitted.
- 15.9 In case of fake/ fabricated application/ registration by misusing any dignitaries name/ photo, such candidate/cyber café will be held responsible for the same and liable for suitable legal action under cyber/IT Act.
- 15.10 Candidate should note that they are applying for combat force and should participate in the recruitment process with due physical/ mental preparation and will be fully responsible for any incident/ accident occurring during any stage of recruitment. Recruiting Agency/ Centre will not be responsible for any such unforeseen incident/ accident. Candidates will participate in recruitment at their own risk.
- 15.11 **During the recruitment, "Dope control will be enforced".** If a candidate is found using any performance enhancing drugs/substances etc, their candidature will be cancelled.
- 15.12 For any queries regarding filling application and Trial/Proficiency/PST & Documentation & Medical Examination etc., candidates may contact Help Line Number 011-24366431/ 24307933 for clarifications.
- 15.13 Candidates should come duly prepared for 4-6 days stay on their own arrangements for different stages of recruitment process. No TA/DA will be admissible for journey and stay.
- 15.14 In case a candidate is found unfit/ineligible for service on any ground after her selection/appointment, her service will be terminated without assigning any reason.

- 15.15 If any candidate is found indulging at any stage in any act of malpractices during the entire recruitment process or thereafter, her candidature will be cancelled and she will be liable for suitable legal action.
- 15.16 .Canvassing in any form or bringing outside influence will automatically disqualify the candidate from appearing the tests further without any notice.
- 15.17 Any candidate found using any unfair means or resorting to impersonation will be disqualified forthwith and liable for action as per law. The person impersonating a candidate will be arrested and a criminal case under IPC/BNS will be registered against him. Such candidates will be barred from applying for the future recruitment in CISF.
- 15.18 Any person acting as a tout or taking the help of a tout will be dealt as per law and criminal case will be registered against him under IPC/BNS.
- 15.19 Candidates are advised to have sufficient practice for trial/proficiency tests before coming for recruitment. CISF or Government of India will not be responsible for any injury/ mishap or medical problem during the course of recruitment process / test.
- 15.20 Candidates having the right aptitude, capability, fitness and knowledge of discipline may apply for the posts.
- 15.21 Candidates have to appear in all the stages of recruitment for which they have qualified. If a candidate is absent from any stage / event for which she has qualified, her candidature will be cancelled.
- 15.22 Any certificate other than in Hindi or English language should be endorsed with translation in Hindi or English duly attested, else will not be entertained.
- 15.23 The Director General, CISF reserves the right to make changes or cancel or postpone the recruitment without assigning any reason.**
- 15.24 The department has a right to make any changes in the advertisement or cancel it without assigning any reason. Further all the conditions mentioned herein may vary as per orders issued by Government of India from time to time.
- 15.25 Undergoing medical examination at the end of the recruitment process does not guarantee for appointment as the offer of appointment will only be issued according to available vacancies.
- 15.26 Selected candidates are required to undergo basic training in CISF RTCs for which they will be informed separately through offer of appointment letter. If any candidate does not qualify the prescribed training, her services are liable to be terminated. They will be on probation for a period of two years which can be extended. During the period of probation, if found unfit for any reason, the services are liable to be terminated.

- 15.27 CISF strives to recruit fit, committed, sincere and best candidates with transparency and impartiality. Hence, candidates are advised to “**BEWARE OF TOUTS**”.
- 15.28 The Offer of Appointment is the last stage of the recruitment process. Thus, qualifying in any stage of recruitment process (including medical examination) does not confer any right of selection or appointment to the post to any candidate.
- 15.29 In the event of any dispute regarding the instructions outlined in this notice, the English version shall prevail.

IMPORTANT NOTICE FOR CANDIDATES

Beware of touts. No money is charged for recruitment in CISF. If you have paid or promised to pay money to any one, you are being cheated & you are losing money. If anyone demands money for getting you selected, immediately inform the Presiding Officer (PO) of recruitment board and DIsG of concerned recruitment Centre or inform through e-mail giving the name/details of the person at ac-rectt@cisf.gov.in

:: XXXX ::

Procedure for filling online Application

Process of filling online application for the examination consists of two parts:

I.	One Time Registration
II.	Filling of online Application for the Examination

Part-I (One-Time Registration)

One-time Registration will be a permanent database for candidate. The Unique Registration ID and Password will be used by the candidates for all the examinations conducted by CISF. Read the instructions given in this advertisement carefully before filling up the online '**Registration Form**' and '**Application Form**'.

How to register for the first time :-

1. Log on to the CISF official website <https://cisfrectt.cisf.gov.in/>.
2. Home page will be displayed. Click on "Login" button.
3. New page will be displayed. Click on "New Registration" button.
4. One-time Registration process requires filling up of following information:
 - a. Basic details
 - b. Additional and contact details
 - c. Declaration.
5. For filling up the 'One-Time Registration Form', follow the following steps:
 - a. Personal details (e.g. Name, father's name, mother's name, date of birth and gender) are required to be entered twice, in the relevant columns of the Registration Form to avoid any inadvertent mistakes in filling up of the form. If there is mismatch between the original and verify data columns, it will not be accepted and an indication to this effect will be displayed in separate dialogue box.
 - b. **Name of Applicant:** As given in Matriculation or 10th Class Certificate. In case, you have made any changes in your name after matriculation, indicate the same.
 - c. Father's Name - As given in Matriculation or 10th Class Certificate.
 - d. Mother's Name - As given in Matriculation or 10th Class Certificate.
 - e. Date of Birth - As given in Matriculation or 10th Class Certificate.
 - f. Gender – Select the appropriate one.
 - g. Click on submit button. New page will be displayed.
 - h. Check your personal details and fill the basic details.
 - i. Fill the valid Mobile Number and Email-ID. It may also be noted that any

information which the department may like to communicate with you through e-mail/SMS, will be sent on provided Email-ID/mobile number. Same Email-ID/Mobile number will also be used for retrieval of password/Registration Number, if required.

- j. Read the 'Declaration' carefully, if you agree with the declaration, click on '**Submit**' button.
- k. On confirmation, your data will be saved. Your Registration Number and Password will be sent to your registered Email-ID and mobile number.
- l. Login using your Registration-Number as user name and auto generated password provided to you on your email and mobile number.

NOTE :-

YOU ARE AGAIN CAUTIONED THAT NAME, FATHER'S NAME, MOTHER'S NAME AND DATE OF BIRTH SHOULD BE FILLED EXACTLY AS RECORDED IN MATRICULATION CERTIFICATE. YOUR CANDIDATURE MAY GET CANCELLED IN CASE OF INCORRECT/ WRONG INFORMATION.

Part-II (Online Application Form)

1. Before proceeding with filling of online application, keep the following data ready:
 - a. Recent scanned colour passport size photograph (i.e. **not more than three months old from the date of publication of the Notice of Examination**) in JPEG format (20 KB to 50 KB). Image dimension of the photograph should be about 3.5cm (width) x 4.5cm (height). The photograph should be without cap, spectacles and both ears should be visible. **The date on which the photograph has been taken must be clearly printed on the photograph. Applications without the date printed on the photograph will be rejected. Applications with blurred photograph will also be rejected.**
 - b. Scanned signature in JPEG format (10 KB to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height). **Applications with illegible signature will be rejected.**
 - c. The scanned copies of all the relevant documents **in PDF format (not more than 01 MB)** with regard to her age (i.e. Date of Birth Certificate or Matriculation / SSCL/10th Certificate) and other educational qualification.
2. Login to CISF Recruitment website i.e <https://cisfrectt.cisf.gov.in/> and click “**APPLY PART**” tab.
3. New page will be displayed and fill the essential details such as ‘**Registration Id, Password, Captcha**’ and click “**SUBMIT**” button.
4. Registered candidate may login to online system through their provisional ‘**Registration Id and Password**’ received by the candidate at the time of registration in CISF Recruitment website i.e. <https://cisfrectt.cisf.gov.in/>.
5. New page will be displayed and click button of “**HEAD CONSTABLE (GENERAL DUTY) AGAINST SPORTS QUOTA-2025 (HOCKEY DISCIPLINE) FEMALE ONLY**”.
6. After clicking the button of “**HEAD CONSTABLE (GENERAL DUTY) AGAINST SPORTS QUOTA-2025 (HOCKEY DISCIPLINE) FEMALE ONLY**”, an application form window will open. The information provided by the candidate during registration process will will automatically populate the corresponding fields. The candidate must complete the remaining fields. The candidates are advised to fill in the details very carefully.
7. Once the candidate has filled in all the required details in the application form, he will find two buttons at the bottom namely “**SAVE & PREVIEW**” and “**CLOSE**”.
 - a) If the candidate uses the “**SAVE & PREVIEW**” button, he will find another two buttons at the bottom namely “**SUBMIT**” and “**EDIT APPLICATION**”.

- i) Clicking the **“SUBMIT”** button, will submit the application form.
 - ii) Clicking the **“EDIT APPLICATION”** button, will allow the candidate to modify the entered data/details.
- b) Clicking the **“CLOSE”** button, will close the window without saving any data/details.
- 8. Once the application form is completely filled in, read declaration carefully. If you accept it, click on **“SUBMIT”** button save all the data/details filled by the applicant.
 - 9. **Then, upload your recent Photograph (not more than three months old from the date of publication of this advertisement as specified at S.No-1(a) above. The date on which the photograph has been taken should be clearly printed on the photograph. Applications without the date printed on photograph will be rejected. Applications with blurred photograph will also be rejected.**
 - 10. Upload your signature as specified at S.No.1(b). **Applications with blurred signatures will be rejected.**
 - 11. **Upload your scanned copy of Date of Birth Certificate/Matriculation/SSLC/10th Certificate and educational qualification for proof of age and educational qualification respectively as specified at Sl.No.1(c).**
 - 12. After uploading all the required documents and images, click on the SUBMIT button. After that candidate may take a print out of their filled application form and retain the same with them. They will be required to submit printout of online application along with self attested documents in support of their eligibility at the time of Trial/Proficiency Test/PST and Documentation.

Specimen of Photographs**Acceptable Photograph****Samples of photographs which are not acceptable****Extra Colour****Too close****With hat/cap****Blur Photographs****Inverted****Too dark****With goggles****Facing Sideways****Too Small****With spectacles**

NOTE : The date on which the photograph has been taken must be clearly printed on the photograph. Applications without the date printed on the photograph will be rejected.

The form of certificate to be to be produced by Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates applying for appointment to posts under the Government of India

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* _____
 son/daughter of Shri _____ of village/Town* _____ in
 District/Division* _____ of the State/Union Territory*
 _____ belongs to the _____ Caste/Tribe* which is
 recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under:-

- @ The Constitution (Scheduled Caste) Order , 1950
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951*
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951*
- As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification Order) 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas Reorganization) Act, 1971, the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 1976. , the State of Mizoram Act, 1986 the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganization) Act, 1987]
- @ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes order, 1956 _____
- @ The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962
- @ The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962
- @ The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964
- @ The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967
- @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968
- @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
- @ The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
- @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Caste Order, 1978
- @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
- @ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 1991
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Act, 1991
- @ The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Andaman & Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976

2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Smt*_____ Father/Mother of Shri/Smt./Kumari*_____ of village/Town*_____ in District/Division*_____ of the State/UT*_____ who belongs to the _____ Caste/Tribes* which is recognised as a SC/ST* in the State/Union Territory* _____ issued by the _____ (name of the prescribed issuing authority) vide their No. _____ dated _____ .

3. Shri/Shrimati/Kumari* _____ and or * his/her* family ordinarily reside(s) in Village/Town* _____ of _____ District/Division* of the State/Union Territory* of _____.

Place
Date

Signature

** Designation _____

(With Seal of Office)
State/Union Territory

* Please delete the words which are not applicable.

@ Please quote specific Presidential order.

% Delete the paragraph which is not applicable.

Note :-The terms 'ordinarily' reside(s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

** List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy. Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/+ Sub Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate.(+not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.
- (v) Administrator/ Secretaru to Administrator/ Development Officer (Lakshadweep).

Note: ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISION OFFICER.

The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____
son/daughter of _____ of village/Town _____ in
District/Division _____ in the State/Union Territory
_____ belongs to the _____ Community which is
recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of Social
Justice and Empowerment's Resolution No. _____
dated _____. Shri/Smt./Kumari _____ and/ or his/her family
ordinarily reside(s) in the _____ District/
Division of the _____ State/ Union Territory. This is also to certify
that he/she does not belong to the persons/ sections (**Creamy Layer**) mentioned in
Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel &
Training O.M. No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/1993**.

Dated:

District Magistrate
Deputy Commissioner etc.
(with official seal)

* The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

** As amended from time to time.

Note :- The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950

Government of

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____ Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____
 son/daughter/wife of _____ permanent resident of
 _____, Village/Street _____ Post Office _____
 District _____ in the State/Union Territory _____ Pin
 Code _____ whose photograph is attested below belongs to Economically
 Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her I 'family'** is below Rs.
 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her
 family does not own or possess any of the following assets*** :

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in. areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to _____ the
 caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other
 Backward Classes (Central List).

Recent size photograph of the applicant	Passport attested
--	----------------------

Signature with seal of
Office

Name _____

#Designation _____

* **Note 1:** Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

** **Note 2:** The term 'Family' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

*** **Note 3:** The property held by a 'Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

#List of authorities empowered to issue Income & Assets Certificate

- (i) District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner/ Ist Class Stipendary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner.
- (ii) Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and
- (iv) Sub-Divisional Officer or the area where the candidate and/ or his family normally resides.

ANNEXURE-VI

**FORM OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY EMPLOYEES OF GOVERNMENT
DEPARTMENTS/UNDERTAKINGS INCLUDING CISF PERSONNEL**

Certified that:-

1. Mr./Miss/Mrs _____ hold a permanent / temporary post under Central / State Government in the rank of _____.
2. He/She has submitted his/her application to this Department/Officer on _____.
3. Mr/Miss/Mrs _____ will be released in case he/she is selected for appointment in Central Security Force.

Place :

Date :

Signature of Head of Office/
Department with official seal

Note : Candidates already in Government service must submit their application through proper channel along with the above certificate.

FORM-1

[For representing India in an International Competition in one of the recognized Games/Sports]

**NATIONAL FEDERATION/ NATIONAL ASSOCIATION
OF _____**

**Certificate to a meritorious sportswomen for employment to a Group "C"
Services under the Central Government**

Certified that Shri/Smt./Kumari _____ son/wife/daughter of
Shri _____ resident of
_____ (complete address) represented
the _____ Country _____ in the _____ game/event of
_____ in _____ competition/Tournament held
at _____ from _____ to _____.

The position obtained by the individual/team in the above said
competition/tournament was _____.

The certificate is being given on the basis of record available in the office of
National _____ Federation/National _____ Association _____ of
_____.

Place: _____

Date : _____

Signature _____

Name _____

Designation: _____

**Name of the Federation/
National Association** _____

Address _____

Seal: _____

Note: This certificate will be valid only when signed personally by the Secretary, National
Federation/National Association.

FORM-2

[For representing a State in India in a National Competition in one of the recognized Games/ Sports]

STATE ASSOCIATION OF _____ IN THE GAME _____ OF _____

Certificate to a meritorious sportswomen for employment to a Group "C"
Services under the Central Government

Certified that Shri/Smt./Kumari _____ son/wife/daughter of Shri _____ resident of _____ (complete address) represented the State of _____ in the game/event of _____ in the National Competition/ Tournament held at _____ from _____ to _____.

The position obtained by the individual/team in the above said Competition/Tournament was _____.

The certificate is being given on the basis of record available in the office of State Association of _____.

Place: _____

Date : _____

Signature _____

Name _____

Designation: _____

Name of the State Association _____

Address _____

Seal: _____

Note: This certificate will be valid only when signed personally by the Secretary of the State Association.

FORM-3

[For representing a University in the Inter -University Competition in one of the recognized Games/ Sports]

UNIVERSITY OF _____
_____.

Certificate to a meritorious sportswomen for employment to a Group "C"
Services under the Central Government

Certified that Shri/Smt./Kumari _____ son/wife/daughter of
Shri _____ resident of _____
(complete address) student of _____ represented the University of
_____ in Inter the game/event of _____
in Inter University Competition / Tournament held at _____ from
_____ to _____.

The position obtained by the individual/team in the above said
Competition/Tournament was _____.

The certificate is being given on the basis of records available in the office of Dean of
Sports or Officer in overall charge of sports in the University of
_____.

Place: _____

Date : _____

Signature _____

Name _____

Designation: _____

Name of the University _____

Address _____

Seal: _____

Note: This certificate will be valid only when signed personally by Dean/Director or other
officer in overall charge of sports in the University of _____.

FORM-4

[For representing a State School Team in the National Games for School in one of the recognized Games/Sports]

DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTIONS/EDUCATION OF THE STATE OF

**Certificate to a meritorious sportswomen for employment to Group "C"
Services under the Central Government**

Certified that Shri/Smt./Kumari _____ son/wife/daughter of
Shri _____ resident _____ of
_____ (complete address) student of
_____ represented the _____ State School Team
in the game/event of _____ in the National Games for Schools held
at _____ from _____ to _____.

The position obtained by the individual/team in the above said
Competition/Tournament was _____.

The certificate is being given on the basis of record available in the office of
Directorate of Public Instructions/Education of
_____.

Place: _____

Date : _____

Signature _____

Name _____

Designation: _____

Address _____

Seal: _____

Note: This certificate will be valid only when signed personally by Director or
Additional/Joint or Deputy Director in overall charge of sports/games for schools in the
Directorate of Public Instruction/Education of the State.

CBC 19113/11/0018/2425

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

सूचना

केओसुब में खेल कोटे के अधीन प्रधान आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के पद पर उत्कृष्ट महिला खिलाड़ियों (हॉकी स्पर्धा) की भर्ती-2025

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि : 11/05/2025 से 30/05/2025 तक
अंतिम तिथि 30/05/2025 (23.59 बजे तक)

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पात्र भारतीय महिला नागरिकों से पे लेवल-4 (रु. 25,500 से 81,100/-) में तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय सामान्य भत्तों सहित खेल कोटा-2025 (हॉकी स्पर्धा) के अधीन प्रधान आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) की 30 रिक्तियों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति होने पर, वे केओसुब अधिनियम एवं नियमों के साथ-साथ, समय-समय पर बल के अन्य सदस्यों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली द्वारा अधिशासित होंगे। वे 01 जनवरी, 2004 को अथवा बाद में केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में ज्ञात "परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली" के अनुसार पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। भर्ती प्रक्रिया में, ट्रायल परीक्षण, दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षण होंगे। भर्ती की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-	
1.1	आवेदन पत्रों को केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।
1.2	भर्ती में निम्नलिखित 2 चरण होंगे:- 1. प्रथम चरण क) ट्रायल परीक्षण। ख) दक्षता परीक्षण। ग) शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और घ) दस्तावेजीकरण। 2. दूसरा चरण चिकित्सा परीक्षण
1.3	खेल कूद के मूल प्रमाण-पत्रों सहित अपेक्षित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन दस्तावेजीकरण के समय किया जाएगा।
1.4	खेल कोटे (हॉकी स्पर्धा) के अधीन प्रधान आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) की रिक्तियों को अखिल भारतीय स्तर पर भरा जाएगा।
1.5	अंतिम परिणाम को दक्षता परीक्षण के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित किए गए अंकों के और अभ्यर्थियों द्वारा ट्रायल परीक्षण, दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, चिकित्सा परीक्षण और इस अधिसूचना में निर्धारित अन्य शर्तों में अर्हता प्राप्त करने पर अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित खेल कूद की गतिविधियों में उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र/उपलब्धि वाले अभ्यर्थियों को प्रदान किए गए अंकों के आधार पर घोषित किया जाएगा।
1.6	अभ्यर्थियों को भर्ती के सभी चरणों के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र केओसुब की भर्ती वेबसाइट https://www.cisfrectt.cisf.gov.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जाएंगे जिन्हें डाउनलोड किया जा सकेगा और इन्हें डाक से नहीं भेजा जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केओसुब की भर्ती वेबसाइट को भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से देखें। अभ्यर्थियों को अपने बुलावा/प्रवेश-पत्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए साथ में लाना होगा।
2.	वेतनमान : पे लेवल-4 (रु. 25,500-81,100)

3.		राष्ट्रीयता/नागरिकता : अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
4.		रिक्तियाँ :- केवल हॉकी स्पर्धा की महिला अभ्यर्थियों के लिए – 30 पद
4.1		उपरोक्त दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या संभावित है और ये भर्ती के किसी भी चरण में प्रशासनिक कारणों से बढ़ अथवा घट सकती हैं। रिक्तियों में संशोधन, यदि कोई होगा, तो उसे केओसुब भर्ती वेबसाइट https://www.cisfreectt.cisf.gov.in पर अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले किसी भी चरण में अधिसूचित किया जाएगा।
5.		प्रमुख विशेषताएं:
5.1		आवेदन-पत्रों को केवल केओसुब की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् https://www.cisfreectt.cisf.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने का कोई अन्य माध्यम अनुमत नहीं है। चूंकि ये पद केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं, इसलिए पुरुष अभ्यर्थी भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
5.2		ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, अभ्यर्थियों को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके आवेदन पत्र में उनके पहचान पत्र की सही संख्या (अर्थात् आधार संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी कार्ड, विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र अथवा आयकर पैन कार्ड संख्या) भरें/दर्ज करें। उसे भर्ती के प्रत्येक चरण के दौरान परीक्षा केन्द्र पर प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डाटा भर्ती के प्रथम चरण के दौरान रिकार्ड किया जाएगा और अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन करने के लिए भर्ती के आगामी चरणों में प्रयोग किया जाएगा।
5.3		आवेदन शुल्क : चूंकि विज्ञापन केवल महिला अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए प्रकाशित किया गया है, इसलिए किसी भी अभ्यर्थी से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
5.4		नीचे यथा उल्लिखित भर्ती के सभी चरणों के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों को केवल केओसुब की भर्ती वेबसाइट अर्थात् https://cisfreectt.cisf.gov.in के माध्यम से जारी किए जाएंगे जिसे डाउनलोड करने की सुविधा होगी और डाक से नहीं भेजे जाएंगे। क. ट्रायल एवं दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) एवं दस्तावेजीकरण। ख. चिकित्सा परीक्षण अभ्यर्थियों को इसलिए यह सलाह दी जाती है कि वे केओसुब की भर्ती वेबसाइट https://cisfreectt.cisf.gov.in को, भर्ती प्रक्रिया संबंधी अधतन जानकारी के लिए नियमित रूप से विजिट करें। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र को परीक्षण/परीक्षा देते समय लाना अपेक्षित होगा।
5.5		ये पद वर्दीधारी हैं और पूर्णतया अस्थायी हैं परंतु इनके स्थायी किए जाने की संभावना है।
5.6		नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी भारतीय क्षेत्र में कहीं भी और विदेश में सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
5.7		अनंतिम चयन सूची में नाम आने से चयन की गारंटी नहीं मिल जाती है।
5.8		निर्विघ्न, पारदर्शी और सही भर्ती का संचालन करने के लिए बल भर्ती के विभिन्न चरणों में पर्याप्त उपायों और आधुनिक तौर-तरीकों का पालन करेगा।
5.9		आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में, निम्नलिखित विवरण वाले जाति प्रमाण-पत्रों को निर्धारित प्रपत्र के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है:-
		क) अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, इलाका/गोँव/कस्बा जिससे वे संबंधित है।
		ख) उपयुक्त/ निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
		ग) अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र में भारत सरकार के संकल्प को सही तरीके से उल्लेखित किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि आरक्षित श्रेणी के अधीन अभ्यर्थी का दावा सही है।
		घ) अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति उस श्रेणी के लिए केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित केन्द्रीय सूची में शामिल है।

6.	पात्रता मानदंड	
6.1	शैक्षिक अर्हताएं: किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 12वीं पास के साथ हॉकी में राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का श्रेय। (राज्य बोर्ड/केन्द्रीय बोर्ड के अतिरिक्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के साथ भारत सरकार की वह अधिसूचना संलग्न होनी चाहिए जिसमें यह घोषित किया हो कि ऐसी योग्यता केन्द्र सरकार की सेवा के लिए 12वीं कक्षा के समकक्ष है।)	
6.2	आयु सीमा :- 01.08.2025 को 18 से 23 वर्ष के बीच। अभ्यर्थी का जन्म 02.08.2002 से पहले और 01.08.2007 के बाद का नहीं होना चाहिए।	
6.2.1	विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमत छूट निम्नानुसार हैं:-	
	क.सं.	श्रेणी ऊपरी आयु सीमा से अधिक अनुमत आयु में छूट
	i)	अनुसूचित जाति/जनजाति ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष तक
	ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग ऊपरी आयु सीमा में 03 वर्ष तक
	iii)	विभागीय अभ्यर्थी जिन्होंने केन्द्र सरकार के तहत न्यूनतम 3 वर्षों की सतत सेवा प्रदान की है। ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में सामान्य/आर्थिक रूप से पिछड़े/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष तक
6.3	खेलकूद के आयोजनों में सहभागिता :-	
	खेलकूद योग्यता	खेल कोटा के तहत प्रधान आरक्षक/जीडी पद के लिए (हॉकी स्पर्धा)
	टीम आयोजन	i) सीनियर/जूनियर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट एक सदस्य के रूप में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा ii) राष्ट्रीय खेलों/चैम्पियनशिप में राज्य स्तरीय टीम अथवा समतुल्य इकाई का सीनियर/जूनियर स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो अथवा iii) अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाली टीम का सदस्य रहा हो अथवा iv) राष्ट्रीय विद्यालयी खेलों/चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हो टिप्पणी – खिलाड़ी को टीम का खेलने वाला सदस्य होना अनिवार्य है।
6.3.1	केवल वे उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी जो उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं और जिन्होंने 01/01/2023 से 30/05/2025 की अवधि के दौरान संबंधित खेलों/चैम्पियनशिप में भाग लिया है, वे इस पद के लिए आवेदन करने की पात्र होंगी।	
6.3.2	आवेदन पत्र पर केवल उस प्रमाण के आधार पर ही विचार किया जाएगा जिसे आवेदक द्वारा किसी एक प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट/खेल में प्रतिनिधित्व करने के रूप में प्रस्तुत किया गया है।	
6.3.3	निम्नलिखित प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई चैम्पियनशिप/खेलों पर ही विचार किया जाएगा:-	
	क) युवा मामले और खेल-कूद मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट।	
	ख) युवा मामले और खेल-कूद विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर/जूनियर स्तर की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप अथवा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल।	
	ग) भारतीय विश्वविद्यालय संघ /अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद बोर्ड द्वारा आयोजित अंतर विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धा।	
	घ) अखिल भारतीय विद्यालय खेलकूद संघ द्वारा स्कूलों के लिए आयोजित राष्ट्रीय खेलकूद / खेल।	

6.3.4	खेल प्रमाण-पत्र के अलावा, निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में जारी किए गए प्रमाण-पत्र (प्रपत्र) भी अपेक्षित होंगे।			
	क.स.	प्रतिस्पर्धा	प्रमाण पत्र देने वाला हॉकी संघ प्राधिकारी	नमूना
	1.	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा	राष्ट्रीय हॉकी संघ का सचिव।	परिशिष्ट-‘क’
	2.	राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा	राष्ट्रीय संघ का सचिव अथवा हॉकी राज्य परिसंघ के सचिव।	परिशिष्ट-‘ख’
	3.	अंतर-विश्व विद्यालय टूर्नामेंट	संबंधित विश्वविद्यालय के खेलों का डीन (अध्यक्ष) अथवा खेलों के समग्र प्रभार वाला अन्य पदाधिकारी।	परिशिष्ट-‘ग’
4.	स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेलकूद/खेल	राज्य के लोक अनुदेशों/शिक्षा निदेशालय में स्कूलों के लिए खेलों/खेलकूदों के समग्र प्रभार में निदेशक अथवा अपर/संयुक्त अथवा उप निदेशक।	परिशिष्ट-‘घ’	
6.3.5	उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों के अलावा, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में वास्तविक भागीदारी और उपलब्धि के आधार पर मान्यता प्राप्त फेडरेशनों/संघों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को अतिरिक्त महत्व दिया जा सकता है।			
6.3.6	यदि राष्ट्रीय महासंघ/राष्ट्रीय संघ/राज्य संघ में सचिव का पद उपलब्ध नहीं है, तो हॉकी महासंघ/संघों में सचिव से वरिष्ठ या समकक्ष पद पर कार्यरत वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र भर्ती के लिए प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ियों की पात्रता निर्धारण हेतु स्वीकार किए जाएंगे।			
6.4	शारीरिक मानक:-			
महिला अभ्यर्थियों के लिए				
	क) कद (पैरा 6.4.1 में उल्लिखित के अलावा अनारक्षित, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से पिछड़े और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) – 153 सेमी			
	ख) सीना – लागू नहीं।			
6.4.1	अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए शारीरिक मानक में अनुमत छूट निम्नानुसार है:-			
	क.सं.	के लिए छूट		कद महिला
	i)	अनुलग्नक- “VI” के अनुसार, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात् गढ़वाली, कुमाऊं, डोंगरा, मराठा, गोरखा* और आदिवासी से संबंधित अभ्यर्थी। उपरोक्त मानक सभी श्रेणियों अर्थात् सामान्य, आर्थिक रूप से पिछड़े, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए लागू होंगे।		153 सेमी
		* दार्जिलिंग जिले के तीन उप प्रभागों नामतः दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सीयोंग सहित गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थी और इन जिलों के निम्नलिखित “मौजा” उप प्रभाग शामिल हैं:- (1) लोहागढ़ चाय गार्डन (2) लोहागढ़ जंगल (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पनीघेटा (6) छोटा अदालपुर (7) पहारू (8) सुकना जंगल (9) सुकना भाग-1 (10) पंतापति जंगल-1 (11) महानदी जंगल (12) चंपासारी जंगल (13) सलबारी छट पार्ट-2 (14) सितोंग जंगल (15) सिवोक हिल जंगल (16) सिवोक जंगल (17) छोटा चेंगा (18) नाईपेनिया।		
	ii)	अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थी।		153 सेमी
6.5	चिकित्सा मानक :- चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सीय योग्यता का आकलन करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। अभ्यर्थी को गृहमंत्रालय के यू.ओ. संख्या ए-VI-1/2014 भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और फाईल संख्या ई.-32012-एडीजी(चिकित्सा)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1-2020 (पार्ट फाईल)/1166 दिनांक 31.05.2021 के तहत जारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों की भर्ती हेतु चिकित्सा परीक्षा के एकीकृत दिशा निर्देश में निर्दिष्ट चिकित्सा मानकों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों को पूरा करना होगा।			

	टिप्पणी-I	वे अभ्यर्थी जिन्होंने 30.05.2025 को आवश्यक शैक्षिक अर्हता प्राप्त नहीं की है, वे पात्र नहीं होंगे और इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।						
	टिप्पणी-II	अभ्यर्थियों को यह नोट करना चाहिए कि उनके आयु और नाम का निर्धारण करने के लिए उनके मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र अथवा किसी समतुल्य प्रमाण-पत्र में जो जन्म तिथि और नाम दर्ज है उसे ही स्वीकार किया जाएगा। जन्मतिथि अथवा नाम में किसी परिवर्तन के किसी तदनुरूपी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।						
7.	प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाण-पत्र का प्रारूप :							
	7.1	अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति के आधार पर आयु में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास जाति/समुदाय का प्रमाण-पत्र है और वे निर्धारित तिथि को कीमी लेयर में नहीं आती हैं। इस प्रक्रिया के लिए निर्धारित तिथि आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात् 30.05.2025 होगी। अभ्यर्थियों को उपरोक्त के संबंध में यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनके द्वारा संबंधित दस्तावेजों की सत्यता की जांच किए जाने तक अनंतिम रहेगी।						
	7.2	वे अभ्यर्थी जो आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अनुलग्नक - 'III' और 'IV' जैसा मामला हो, के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की उनकी स्थिति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।						
	7.3	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुलग्नक-'V' के अनुसार आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात् 30.05.2025 होगी। अभ्यर्थियों को यह भी नोट करना चाहिए कि उपरोक्त के संबंध में, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता का सत्यापन किए जाने तक अनंतिम रहेगी।						
	7.4	उम्मीदवारों को सावधान किया जाता है कि यदि उनके द्वारा किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या किसी अन्य लाभ के दावे को धोखाधड़ी पूर्ण पाया जाता है, तो उनकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।						
8.	आवेदन कैसे करें :							
	8.1	आवेदन पत्रों को केओसुब की वेबसाइट अर्थात् www.cisfrectt.cisf.gov.in पर ही ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए, कृपया इस अधिसूचना के अनुलग्नक-I और II को देखें। आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अन्य माध्यम अनुमत नहीं है।						
	8.2	क्षेत्रीय भर्ती केन्द्र का पता निम्नानुसार है :- <table border="1" data-bbox="391 1332 1461 1585"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>स्पर्धा का नाम</th><th>क्षेत्रीय भर्ती केन्द्र का नाम तथा पता।</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>हॉकी</td><td>उप महानिरीक्षक, केओसुब आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय केओसुब 5वीं आरक्षित वाहिनी परिसर, गाजियाबाद, पोस्ट - शिप्रा सन सिटी, जिला - गाजियाबाद, राज्य - उत्तर प्रदेश - 201014 (ई मेल : digncr@cisf.gov.in)</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	स्पर्धा का नाम	क्षेत्रीय भर्ती केन्द्र का नाम तथा पता।	1.	हॉकी	उप महानिरीक्षक, केओसुब आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय केओसुब 5वीं आरक्षित वाहिनी परिसर, गाजियाबाद, पोस्ट - शिप्रा सन सिटी, जिला - गाजियाबाद, राज्य - उत्तर प्रदेश - 201014 (ई मेल : digncr@cisf.gov.in)
क्र.सं.	स्पर्धा का नाम	क्षेत्रीय भर्ती केन्द्र का नाम तथा पता।						
1.	हॉकी	उप महानिरीक्षक, केओसुब आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय केओसुब 5वीं आरक्षित वाहिनी परिसर, गाजियाबाद, पोस्ट - शिप्रा सन सिटी, जिला - गाजियाबाद, राज्य - उत्तर प्रदेश - 201014 (ई मेल : digncr@cisf.gov.in)						
	8.3	ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना अपेक्षित है :- ➤ फोटोग्राफ को अपलोड करना - जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही का स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो जिस पर फोटो खींचने की तिथि अंकित हो (अर्थात् फोटो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए) परीक्षा के ऑनलाइन फार्म में अपलोड किया जाना है। फोटो की छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। जिस दिन फोटो लिया गया है, वह दिनांक फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे। धुंधली तस्वीर वाले आवेदन-पत्र भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे।						

	➤ हस्ताक्षर को अपलोड करना – जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
	➤ दस्तावेजों को अपलोड करना – अभ्यर्थियों को केवल अपनी आयु और शैक्षिक अर्हता से संबंधित दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां पीडीएफ प्रारूप में (1 एमबी से अधिक न हो) अपलोड करना अपेक्षित है।
8.4	ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तथा समय 30.05.2025 (23:59 बजे) है।
8.5	अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और वे अंतिम तिथि के दिनों में वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के कारण इंटरनेट की संभावित विच्छेदता/लॉग-इन न होना अथवा लॉग-इन में असफलता से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें।
8.6	ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह अवश्य जांच कर लेना चाहिए कि उन्होंने प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम में सही विवरण भरे हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन, परिशुद्धि, संशोधन अनुमत नहीं किया जाएगा। इस संबंध में प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
8.7	अभ्यर्थियों का स्वयं का सक्रिय ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है और उस को आवेदन पत्र में भरना है, क्योंकि भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना उन्हें एसएमएस अथवा ई-मेल के माध्यम से ही दी जाएगी।
9.	परीक्षा में प्रवेश :
9.1	वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के प्रयुक्त में अंतिम तिथि और समय तक आवेदन करते हैं और जिनके आवेदन पत्र अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं और वे इस अधिसूचना के नियम और शर्तों के अनुसार सही पाए जाते हैं, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किए जाएंगे और उन्हें ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/पीएसटी और दस्तावेजीकरण में बुलाने के लिए प्रवेश-पत्र जारी किए जाएंगे। तदनुसार, योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती के अगले चरणों (अर्थात् चिकित्सा परीक्षा) के लिए प्रवेश-पत्र जारी किए जाएंगे।
9.2	विभाग ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण /पीएसटी और दस्तावेजीकरण के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच करेगा। इसलिए, अभ्यर्थिता को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हताओं, आयु, शारीरिक और चिकित्सीय मानकों आदि की अपेक्षाओं के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें यह स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए पात्र हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में किए गए किसी दावे की पुष्टि भर्ती की समग्र प्रक्रिया के दौरान नहीं होती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
9.3	अभ्यर्थियों को कोई भी पत्र भेजते समय अपना नाम, जन्म तिथि और भर्ती के नाम के साथ अपना पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल संख्या अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के बिना अभ्यर्थियों के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।
9.4	ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/पीएसटी और दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र के औसुब की भर्ती वेबसाइट www.cisfreectt.cisf.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं और अभ्यर्थियों को निर्धारित भर्ती केंद्रों पर प्रवेश-पत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेकर आना होगा।
9.5	वेबसाइट से प्रवेश-पत्र डाउनलोड न होने की स्थिति में, अभ्यर्थियों को ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/पीएसटी और दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षण से कम से कम एक सप्ताह पहले के औसुब हेल्पलाइन 011-24366431 / 24307933 से संपर्क करना चाहिए।
9.6	प्रवेश पत्र के अलावा, चार नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से उल्लिखित (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं) हो और एक मूल वैध फोटो आईडी प्रमाण जिस पर जन्म तिथि भली-भांति प्रिन्ट की हुई हो जैसे आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता आईडी कार्ड, (सरकारी/पीएसयू) या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो वाला अन्य पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।

	9.7	यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि लिखी हुई नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र (उदाहरणतया मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, केवल सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्डों द्वारा जारी अंक तालिकाएं, जन्म प्रमाण पत्र) लाना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो आईडी/प्रमाण पत्र में मेल नहीं होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
	9.8	प्रवेश पत्र में उल्लिखित अन्य किसी दस्तावेज को भी अभ्यर्थियों द्वारा बाद के चरणों में शामिल होते समय प्रस्तुत करना होगा।
10.	भर्ती प्रक्रिया:	
		भर्ती के विभिन्न चरण निम्नलिखित क्रम के अनुसार आयोजित किए जाएंगे :-
		1. प्रथम चरण क) ट्रायल परीक्षण। ख) दक्षता परीक्षण। ग) शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) घ) दस्तावेजीकरण। 2. दूसरा चरण चिकित्सा परीक्षण सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय तक स्वयं को पंजीकृत करते हैं और जिनके आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं और क्रम में पाए जाते हैं, उन्हें भर्ती के प्रथम चरण अर्थात् ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/ शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और दस्तावेजीकरण के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए, परीक्षा के लिए उपस्थित होने से पहले अभ्यर्थियों की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वे इस सूचना में निर्धारित अपनी पात्रता को सत्यापित करें।
	10.1	ट्रायल परीक्षण :-
	10.1.1	रिपोर्ट करने पर सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित की जाएगी।
	10.1.2	भर्ती के दौरान, प्रतिरूपण से बचने के लिए, अभ्यर्थियों का बायो-मैट्रिक (एलटीआई) पंजीकरण किया जाएगा। अभ्यर्थी की पहचान सत्यापित करने के लिए भर्ती के बाद के चरणों अर्थात् चिकित्सा परीक्षा और प्रशिक्षण केन्द्र में रिपोर्ट के समय बायो-मैट्रिक पंजीकरण का उपयोग किया जाएगा।
	10.1.3	बायोमैट्रिक (एलटीआई) पंजीकरण के बाद, सभी अभ्यर्थियों को ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और दस्तावेजीकरण के लिए अपनी लिखित सहमति प्रस्तुत करनी होगी।
	10.1.4	पहचान के सफल सत्यापन, लिखित सहमति प्रस्तुत करने और बायोमैट्रिक पंजीकरण के बाद, अभ्यर्थियों को खेल स्पर्धा अर्थात् हॉकी में 20 अंकों का ट्रायल परीक्षण देना होगा। ट्रायल परीक्षण योग्यतापरक होगा। तथापि, ट्रायल परीक्षण में न्यूनतम कट ऑफ अंक 10 अंक होंगे।
	10.1.5	जे उम्मीदवार ट्रायल परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और भर्ती बोर्ड द्वारा अस्वीकृति पर्ची प्रदान की जाएगी, जिसमें अस्वीकृति के कारणों की सूचना दी जाएगी।
	10.1.6	ट्रायल परीक्षण को पुनः आयोजित करवाने की अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
	10.2	दक्षता परीक्षण:
		ट्रायल परीक्षण में अर्हक घोषित सभी अभ्यर्थियों को खेल स्पर्धा में 40 अंकों के दक्षता परीक्षण से गुजरना होगा। दक्षता परीक्षण में न्यूनतम कटऑफ अंक 20 अंक होंगे।
	10.2.1	वे अभ्यर्थी, जो दक्षता परीक्षण में न्यूनतम योग्यतापरक अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें भर्ती बोर्ड द्वारा कारण बताते हुए एक अस्वीकृति पर्ची दी जाएगी।
	10.2.2	मैरिट अभ्यर्थियों द्वारा दक्षता परीक्षण में प्राप्त अंको तथा हॉकी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रमाण पत्र/उपलब्धि वाले अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
	10.2.3	दक्षता परीक्षण के पुनः आयोजित करवाने की अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

10.3	शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) :	
10.3.1	ट्रॉयल एवं दक्षता परीक्षण में योग्य होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) से गुजरना होगा।	
10.3.2	अभ्यर्थियों के कद और वजन का माप अधिकारियों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा। वे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानकों को पूरा करेंगे, उन्हें भर्ती की अगली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। शारीरिक मानकों का उल्लेख उपरोक्त पैरा 6.4 में विस्तार से दिया गया है।	
10.3.3	वे अभ्यर्थी, जिन्हें शारीरिक मानकों अर्थात् कद में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, वे उसी दिन, यदि वे चाहें, तो शारीरिक मापन में अपने चयन न किए जाने के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को एक अपील कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का मापन उसी दिन अथवा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुनः मापन के लिए एक नई तिथि पर किया जाएगा। इस संबंध में, अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में आगे किसी अपील अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी निर्धारित मानक के तहत योग्य पाया जाता है, तो उसे चयन प्रक्रिया के अगले चयन में भाग लेने के लिए अनुमत किया जाएगा।	
10.3.4	निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी अस्वीकृति पर्वी देकर भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। शारीरिक माप के समय वजन दर्ज किया जाएगा, लेकिन वजन के आधार पर फिटनेस पर निर्णय विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के समय किया जाएगा। शारीरिक मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही दस्तावेजीकरण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।	
10.4	दस्तावेजीकरण :	
	वे अभ्यर्थी जो ट्रॉयल परीक्षण, दक्षता परीक्षण और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें दस्तावेजीकरण से गुजरना होगा। अभ्यर्थियों के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। वे अभ्यर्थी जो अपेक्षित मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा कारण बताते हुए निरस्त करने संबंधी स्लिप देते हुए भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से अनुमत नहीं किया जाएगा।	
	(i)	शैक्षिक प्रमाण पत्र (12वीं पास अथवा इसके समकक्ष)
	(ii)	जन्म प्रमाण पत्र (मैट्रिक अथवा दसवीं पास होने का प्रमाण पत्र)
	(iii)	अजा/अजजा और अपिव और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि लागू हो। यह कमशः अनुलग्नक –III, IV एवं V में यथानिर्धारित प्रपत्र में होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, जो विज्ञापन सूचना में दर्शाए गए अनुसार नहीं हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
	(iv)	पैरा – 6.3 में यथा उल्लिखित खेल उपलब्धियों के प्रमाण-पत्र।
	(v)	परिशिष्ट- 'क' से 'घ' के अनुसार, जैसा भी मामला हो, मान्यता प्राप्त संघों/परिसंघों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (प्रपत्र)।
	(vi)	अनुलग्नक –VI में दिए गए प्रारूप के अनुसार, सरकारी/अर्द्ध-सरकारी विभागों में सेवारत व्यक्तियों के मामले में उनके कार्यालय प्रमुख से अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
	(vii)	अभ्यर्थी की चार नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से अंकित हो (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं हो)।
	(viii)	अभ्यर्थियों को अपने साथ मूल रूप में फोटो युक्त पहचान पत्र के प्रमाण जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड इत्यादि लाने चाहिए जो उसने आवेदन पत्र में यथा उल्लिखित/प्रयोग किए हैं।
10.4.1	केऔसुब अपने विवेक से भर्ती के दौरान या बाद के चरण में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रमाण-पत्र की वास्तविकता की जांच या सत्यापन कर सकता है, और ऐसे सत्यापन/जांच के बाद केऔसुब का निर्णय अंतिम होगा।	
10.4.2	दस्तावेजीकरण पूरा होने के बाद, हॉकी में उत्कृष्टता प्रमाण पत्र/उपलब्धि के आधार पर अभ्यर्थियों को अंक (10 अंकों में से) प्रदान किये जाएंगे।	
10.4.3	दस्तावेजीकरण में अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।	

11.	चिकित्सा परीक्षण :	
11.1		केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने ट्रायल परीक्षण, दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और दस्तावेजीकरण में अर्हता प्राप्त की है, उन्हें दक्षता परीक्षा में उनके प्रदर्शन और हॉकी स्पर्धा में उत्कृष्टता प्रमाण पत्र/ उपलब्धियों के आधार पर दिए गए अंकों (10 अंकों में से) के अनुसार विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। (चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से लगभग 02 (दो) गुणा होगी।
11.2		चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस का आकलन करने के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सीय जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा, दिनांक 20.05.2015 के गृह मंत्रालय के यूओ संख्या ए. VI-1/2014-भर्ती(एसएसबी) और दिनांक 31.05.2021 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012/एडीजी(मेडि)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1/2020 (पार्ट फाईल)/1/1166 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों हेतु भर्ती के लिए एक समान दिशा-निर्देशों के अनुसार, आयोजित की जाएगी। तथापि, बुलावा पत्र भेजने और विस्तृत चिकित्सा परीक्षण में फिट घोषित किए जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि अभ्यर्थी का चयन अंतिम रूप से हो गया है। इसलिए, ऐसे आधार पर चयन के उनके दावे को अंतिम चयन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अंतिम चयन वरीयता के साथ-साथ रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर होगा।
11.3		अभ्यर्थी के घुटनों में टकराव न हो, समतल पैर, धनुषाकार पैर, आँखों में भेंगापन, बाई आँख बंद करने में असमर्थता, उंगलियों को बार-बार मोड़ने में असमर्थता, वैरिक्ज वेन और कोई अन्य स्पष्ट विकृति नहीं होनी चाहिए तथा उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए।
11.4		टैटू : टैटू की अनुमति को निश्चित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं:-
	(क)	विषय वस्तु : एक धर्म निरपेक्ष देश होने के नाते, हमारे देश की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और इसलिए, भारतीय सेना में अपनाए गए धार्मिक प्रतिक या आंकड़े और नाम को दर्शाने वाले टैटू की अनुमति दी जाती है।
	(ख)	अवस्थिति : शरीर के पारम्परिक हिस्सों जैसे अग्र भुजा के अंदरूनी हिस्से, लेकिन केवल बाई अग्रभुजा अथवा हाथ के पिछले हिस्से पर जिसका उपयोग सलामी देने में नहीं किया जाता है, पर खुदे हुए टैटू को अनुमत किया जाता है।
	(ग)	आकार : टैटू का आकार शरीर के विशिष्ट भाग (कोहनी अथवा हाथ) के 1/4 हिस्से से कम होना चाहिए।
11.5		सभी मामलों में, जहां अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षा में नियुक्ति के लिए चिकित्सकीय रूप से अनफिट घोषित किया गया है, को जांच चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखित रूप में अस्वीकृति के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान अयोग्य घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) से गुजरने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे अनफिट होने के कारणों का संकेत देते हुए अपने हस्ताक्षर करके अपनी लिखित सहमति दें। अभ्यर्थियों का आरएमई, डीएमई के अगले दिन अधिमानतः डीएमई की निरंतरता में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आरएमई के लिए सहमति डीएमई में अपनी अयोग्यता के बारे में सूचित किए जाने के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
11.6		अभ्यर्थियों को फिट अथवा अनफिट घोषित किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से अनफिट घोषित नहीं किया जाएगा।
11.7		समीक्षा चिकित्सा परीक्षा में समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों के विरुद्ध किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
		टिप्पणी : रंग दृष्टि की जांच एक बार भर्ती के समय और एक बार बाद में बुनियादी प्रशिक्षण के समय की जाएगी।

12.	अंतिम चयन/वरीयता सूची तैयार करना :	
12.1	ट्रॉयल परीक्षा, दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी), दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षा के पूरा होने के बाद अधिसूचित रिक्रिटों के बराबर अंतिम मैरिट /चयन सूची तैयार की जाएगी।	
12.1.2	अभ्यर्थी को 01/01/2023 से 30/05/2025 की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किए किसी एक उच्चतम मेडल के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक मेडल प्राप्त किए हैं, उस मामले में उस अभ्यर्थी को प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट/खेल में प्राप्त केवल उच्चतम मेडल/स्थान के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे।	
12.1.3	टीम स्पर्धाओं को नीचे दिए गए क्रम के अनुसार प्राथमिकता प्रदान की जाएगी:-	
	क. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप	ख. राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप
	1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता	1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता
	2) द्वितीय रजत पदक विजेता	2) द्वितीय रजत पदक विजेता
	3) तृतीय कांस्य पदक विजेता	3) तृतीय कांस्य पदक विजेता
12.1.4	यदि समान अंक रहते हैं तो कम उम्र के खिलाड़ियों को वरीयता दी जाएगी। यदि फिर भी समान अंक रहते हैं तो अभ्यर्थी के अंग्रेजी में नाम को वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जाएगी।	
12.1.5	भर्ती के किसी भी चरण में सफलता, नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती, जब तक कि विभाग यह सत्यापित करने के बाद संतुष्ट न हो, जिसे विभाग आवश्यक समझे, कि अभ्यर्थी सभी दृष्टिकोणों से सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त है।	
12.1.6	अंतिम परिणाम के औसत भर्ती वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा।	
12.1.7	कोई भी प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई/रखी जाएगी।	
टिप्पणी-।	परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद के लिए सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। उनका भर्ती के प्रत्येक स्तर पर प्रवेश पूर्णतः अनंतिम और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्वधीन होगा। यदि ट्रॉयल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और चिकित्सा जांच से पहले या बाद में किसी भी समय जांच में यह पाया जाता है कि वे किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी परीक्षा के लिए अभ्यर्थिता विभाग द्वारा निरस्त कर दी जाएगी।	
टिप्पणी-।।	यदि, कोई अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय किसी भी आधार पर अयोग्य पाये जाते हैं या तथ्यों को छुपाते हैं, उसकी अभ्यर्थिता/चयन/नियुक्ति तदनुसार निरस्त की जा सकती है।	
13.	निर्णय: पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए जुर्माना, चयन के तरीकों, परीक्षाओं के आयोजन, भर्ती केन्द्रों के आबंटन, मैरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड/विभाग का निर्णय अभ्यर्थियों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।	
14.	न्यायालय क्षेत्राधिकार: इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद की स्थिति उन न्यायालयों/अधिकरणों के अधीन होगी जिस शहर/कस्बे में संबंधित के औसत भर्ती केन्द्र स्थापित है और जहां पर अभ्यर्थी ने आवेदन किया है।	
15.	अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:	
15.1	पैरा-6.3 में यथा उल्लिखित किसी स्पर्धा/टूर्नामेंट/खेलकूद में प्रतिनिधित्व करने के लिए अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पर विचार उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में किया जाएगा।	
15.2	वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अथवा अन्य किसी छूट का परीक्षा की अधिसूचना के प्रावधानों के आधार पर आरक्षण का लाभ चाहते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे उक्त आरक्षण/छूट के हकदार हैं। जब उनसे प्रमाण पत्र की प्रतियां मांगी जाएं तो उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में संबंधित प्रमाण-पत्र होने चाहिए।	
15.3	दिव्यांगजन/शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे।	

15.4	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल पता और मोबाइल नंबर भरें क्योंकि पत्राचार ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से किया जा सकता है।
15.5	अभ्यर्थियों को अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और माता का नाम बिल्कुल वैसा ही दर्ज करना होगा जैसा मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दिया गया है।
15.6	अपूर्ण सूचना/गलत सूचना/अधूरे अपेक्षित प्रमाण पत्र/तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने/अहस्ताक्षरित छोड़ देने के कारण आवेदन को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
15.7	एक बार प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
15.8	जब आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर दिया जाता है तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें। 'आवेदन पत्र' का प्रिंटआउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
15.9	किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/मनगढ़त आवेदन/पंजीकरण के मामले में, अभ्यर्थी/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वह साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
15.10	अभ्यर्थी ध्यान दें कि वे एक वर्दीधारी बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उन्हें उचित शारीरिक/मानसिक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा और वे भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए भर्ती एजेंसी/केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने जोखिम पर भर्ती में भाग लेंगे।
15.11	भर्ती के दौरान, "डोप नियंत्रण लागू किया जाएगा"। यदि कोई अभ्यर्थी स्पर्धा के दौरान किसी ऊर्जावान दवाई/औषधि आदि का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
15.12	अभ्यर्थी आवेदन भरने और ट्रायल/दक्षता/पीएसटी एवं दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षा आदि के संबंध में किसी पूछताछ के लिए हेल्प लाइन नंबर 011-24366431 / 24307933 पर संपर्क कर सकते हैं।
15.13	भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था के तहत 4-6 दिनों तक ठहरने के लिए विधिवत तैयार होकर आना चाहिए। यात्रा और ठहरने के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा।
15.14	यदि कोई अभ्यर्थी अपने चयन/नियुक्ति के बाद किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य/अपात्र पाया जाता है, तो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।
15.15	यदि कोई भी अभ्यर्थी पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में या उसके बाद कदाचार के किसी भी कार्य में संलिप्त पाया जाता है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और वे उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
15.16	किसी भी प्रकार के अनुयाचन अथवा किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव डालने पर अभ्यर्थियों को स्वतः ही बिना किसी सूचना के परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
15.17	कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अनुचित साधन का उपयोग करते हुए या किसी डमी का सहारा लेते हुए पाया गया तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी की नकल करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ आईपीसी/बीएनएस के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भविष्य में होने वाली भर्तियों में आवेदन करने से रोक दिया जाएगा।
15.18	दलाल के रूप में काम करने वाले या दलाल की मदद लेने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ आईपीसी/बीएनएस के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
15.19	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती के लिए आने से पहले ट्रायल/दक्षता परीक्षणों के लिए पर्याप्त अभ्यास करें। भर्ती प्रक्रिया/परीक्षा के दौरान किसी भी चोट/दुर्घटना या चिकित्सा समस्या के लिए केओसुब या भारत सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।
15.20	उचित योग्यता, क्षमता, फिटनेस और स्पर्धा का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

15.21	अभ्यर्थियों को भर्ती के सभी चरणों में उपस्थित होना होगा जिसके लिए वे अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी चरण/कार्यक्रम से अनुपस्थित रहती है जिसके लिए उसने अर्हता प्राप्त की है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
15.22	हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा कोई भी प्रमाण-पत्र, हिंदी अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कर सत्यापित करके लगा होना अनिवार्य है, अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
15.23	केओसुब के महानिदेशक बिना कोई कारण बताए भर्ती में बदलाव करने या रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
15.24	विभाग को विज्ञापन में कोई भी परिवर्तन करने या बिना कोई कारण बताए उसे रद्द करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, यहां उल्लिखित सभी शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
15.25	भर्ती प्रक्रिया के अंत में, चिकित्सा परीक्षण से गुजरना नियुक्ति की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि नियुक्ति का प्रस्ताव केवल आबंटित रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा।
15.26	चयनित अभ्यर्थियों को सीआईएसएफ के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में बुनियादी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना होगा जिसके लिए उन्हें नियुक्ति पत्र के प्रस्ताव के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित बुनियादी प्रशिक्षण में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। वे 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होंगे जिसे बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान, यदि वे किसी कारण से अनफिट पाए जाते हैं, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
15.27	केओसुब पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ योग्य, प्रतिबद्ध, ईमानदार और सर्वोत्तम अभ्यर्थियों को भर्ती करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे “दलालों से सावधान रहें” ।
15.28	नियुक्ति का प्रस्ताव भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस प्रकार, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी पिछले चरण (चिकित्सा परीक्षा सहित) में अर्हता प्राप्त करने से किसी भी अभ्यर्थी को पद पर चयन या नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है।
15.29	इस अधिसूचना में उल्लेखित निर्देशों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना दलालों से सावधान रहें। केओसुब में भर्ती के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने भुगतान किया है या किसी को पैसे देने का वादा किया है तो आपको धोखा दिया जा रहा है और आप पैसे खो रहे हैं। यदि कोई आपके चयन के लिए पैसे की मांग करता है, तो तुरंत भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी (पीओ) और संबंधित भर्ती केन्द्र के उप महानिरीक्षक को सूचित करें या ई-मेल के माध्यम से उस व्यक्ति का नाम ac-rectt@cisf.gov.in पर सूचित करें।	

(ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I.	वन टाइम रजिस्ट्रेशन
II.	परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना
भाग -1 (वन टाइम रजिस्ट्रेशन)	
अभ्यर्थी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक स्थायी डेटाबेस होगा। केओसुब द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का ही उपयोग किया जाएगा। ऑनलाइन 'पंजीकरण फॉर्म' और 'आवेदन पत्र' भरने से पहले परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने से पहले निम्न सूचना/दस्तावेजों को तैयार रखें – (क) मोबाइल न. (ख) ई-मेल आईडी	
पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे करें :-	
1.	केओसुब की आधिकारिक वेबसाइट https://cisfrecht.cisf.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2.	होम पेज प्रदर्शित हो जाएगा। "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें।
3.	नया पेज प्रदर्शित होगा। "नया पंजीकरण" बटन पर क्लिक करें।
4.	वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है:
	क. मूल विवरण ख. अतिरिक्त और संपर्क विवरण ग. घोषणा।
5.	'वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म' भरने के लिए, कृपया निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
क.	व्यक्तिगत विवरण (जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या आदि) को पंजीकरण फॉर्म के संबंधित कॉलम में दो बार दर्ज करने की आवश्यकता होती है ताकि फॉर्म भरने में अनजाने में हुई गलतियों से बचा जा सके। यदि मूल और सत्यापित डाटा कॉलम के आंकड़ों में मेल नहीं है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस आशय का एक अलग संकेत बाक्स दिया जाएगा।
ख.	अपना नाम ठीक वैसे ही भरें, जैसे मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) के प्रमाण पत्र में हैं। यदि, मैट्रिकुलेशन के बाद आपने अपने नाम में कोई परिवर्तन किया है तो उसका उल्लेख करें।
ग.	अपने पिता का नाम ठीक से भरें।
घ.	अपनी माता का नाम ठीक से भरें।
ङ.	अपनी जन्मतिथि ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) प्रमाणपत्र में दी गई है।
च.	अपने लिंग के बारे में जानकारी प्रदान करें।
छ.	सबमिट बटन पर क्लिक करें। नया पृष्ठ प्रदर्शित हो जाएगा।
ज.	अपना व्यक्तिगत विवरण जांचें और मूल विवरण भरें।
झ.	अपना क्रियाशील मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी भरें। यह भी नोट कर ले कि कोई भी सूचना जिसे विभाग ईमेल के माध्यम से आपको संप्रेषित करेगा, वह केवल आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल-आईडी पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए भी उसी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
ञ.	'घोषणापत्र' को ध्यान से पढ़ें, अगर आप घोषणापत्र से सहमत हैं तो 'फाइनल सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

ट	पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेज लिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पर भी भेज दिया जाएगा।
ठ.	अपनी पंजीकरण-संख्या का "यूजरनेम" के रूप में और आपके ईमेल पर प्रदान किए गए "ऑटो-जेनरेटेड पासवर्ड" का उपयोग करके लॉगिन करें।
टिप्पणी	आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिकुलेशन परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरा जाना चाहिए जैसा कि मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज किया गया है। त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी के मामले में आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें :
 - क) जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना नहीं हो)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। जिस तारीख को फोटो खींची गई है वह फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। धुंधली तस्वीर वाले आवेदन भी खारिज कर दिए जाएंगे।
 - ख) जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
 - ग) पीडीएफ प्रारूप में सभी संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां (01 एमबी से अधिक नहीं), उम्र के संबंध में (अर्थात् जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक / एसएसएलसी / 10 वीं प्रमाण पत्र, मूल निवास और अन्य शैक्षणिक योग्यता की तारीख) अपलोड करें।
2. केओसुब की आधिकारिक वेबसाइट <https://cisfrectt.cisf.gov.in> पर लॉग ऑन करें और अप्लाई पार्ट टैब पर क्लिक करें।
3. नया पृष्ठ खुलेगा और आवश्यक विवरण जैसे 'पंजीकरण संख्या', 'पासवर्ड', 'कैप्चा' भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
4. पंजीकृत अभ्यर्थी केओसुब भर्ती वेबसाइट अर्थात् <https://cisfrectt.cisf.gov.in> में पंजीकरण के समय अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अपने अनंतिम 'पंजीकरण आईडी और पासवर्ड' के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉग इन कर सकते हैं।
5. नया पेज प्रदर्शित होगा और "केओसुब में प्रधान आरक्षक/जीडी (स्पोर्ट्स कोटा) हॉकी स्पर्धा महिला खिलाड़ियों की भर्ती -2025" के बटन पर क्लिक करें।
6. "केओसुब में प्रधान आरक्षक/जीडी (स्पोर्ट्स कोटा) हॉकी स्पर्धा महिला खिलाड़ियों की भर्ती -2025" के बटन पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी जिसमें आवेदन पत्र होगा। पंजीकरण प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी द्वारा पहले भरा गया डेटा/विवरण, आवेदन पत्र में संबंधित क्षेत्रों में स्वतः भर जाएगा। शेष खाली क्षेत्र अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण बहुत सावधानी से भरें।
7. अभ्यर्थी द्वारा एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भरे जाने के बाद, उसे नीचे की तरफ दो बटन "सेव एंड प्रीव्यू" और बंद करें दिखाई देंगे, यदि अभ्यर्थी बंद करें बटन पर क्लिक करता है तो वह आवेदन पत्र को संपादित कर सकेगा। कोई विवरण सहेजा नहीं जाएगा।
8. एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भर जाने के बाद, घोषणा को ध्यान से पढ़ें और "सबमिट" बटन पर क्लिक करें, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो यह आपके द्वारा भरे गए सभी डेटा/विवरणों को सहेज लेगा।
9. उपरोक्त क्र.सं.-1(क) में यथा विनिर्दिष्ट, अपना हाल का फोटो अपलोड करें जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से उल्लिखित हो (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह अधिक पुरानी न हो)।
10. क्रमांक संख्या- 1 (ख) में यथा निर्दिष्ट अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
11. आयु के प्रमाण के लिए मैट्रिक/एसएसएलसी/10वीं प्रमाणपत्र, वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा/12वीं प्रमाणपत्र, मूल निवास और कोई अन्य उच्च शिक्षा प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, की स्कैन की हुई क्र.सं.-1(ग) में यथा विनिर्दिष्ट, प्रति अपलोड करें।

12. सभी आवश्यक दस्तावेज और छवि अपलोड करने के बाद, पृष्ठ के नीचे दिखाई देने वाले भुगतान बटन पर भुगतान करने के लिए जारी बटन पर क्लिक करें।
13. अब 'भुगतान' विंडो दिखेगी। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, उन्हें यह संदेश दिखाई देगा कि आप शुल्क छूट के पात्र हैं और उन्हें 'आवेदन प्रिंट करें' का विकल्प मिलेगा।
14. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
15. शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड अथवा यूपीआई अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी चालान विकल्प का चयन करता है तो अभ्यर्थी को सर्वर से शुल्क जमा करने के लिए चालान फार्म प्राप्त होता है। चालान फार्म प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा में जाकर शुल्क जमा करना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी की औपचारिकता पूरी हो जाती है। बैंक एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करेगा और कैंडिडेट को भेजेगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 48 घंटे लगते हैं। 48 घंटे के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकता है।
16. भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अभ्यर्थी अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं। उन्हें पीईटी/पीएसटी और दस्तावेजीकरण के समय अपनी पात्रता के समर्थन में स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट जमा करना होगा।

चेतावनी :

- (क) अभ्यर्थियों को सभी पंजीकृत डेटा को ध्यान से सत्यापित करना चाहिए। यदि किसी डेटा का गलत उल्लेख किया गया है, तो उसे 'संपादित करें' बटन पर क्लिक करके संपादित किया जा सकता है।
- (ख). "सबमिट" बटन पर क्लिक करने पर, अब तक दर्ज किया गया डेटा/विवरण सर्वर में सहेजा जाएगा। यदि अभ्यर्थी "संपादित करें" बटन पर क्लिक करता है, तो डेटा/विवरण सहेजा नहीं जाएगा और अभ्यर्थी पंजीकरण विंडो/प्रक्रिया से बाहर निकलने में सक्षम होगा।

Specimen of Photographs

Acceptable Photograph



Samples of photographs which are not acceptable

Extra Colour



Too close



With hat/cap



Blur Photographs



Inverted



Too dark



With goggles



Facing Sideways



Too Small



With spectacles



भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* पुत्र/पुत्री श्री गाँव/नगर* जो जिला/खंड* राज्य/संघ शासित क्षेत्र* जाति/जनजाति से सम्बंधित है की पहचान निम्न के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में की गई है :-		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) संघ शासित क्षेत्र आदेश, 1951*		
@ 'संवैधानिक (अनुसूचित जन जाति) संघ शासित क्षेत्र आदेश, 1951* (अनुसूचित जाति और जनजाति सूचियों (संशोधन आदेश) 1956 द्वारा यथासंशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, 'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976) मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987)		
@ संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956		
@ संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962		
@ संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962		
@ संवैधानिक (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964		
@ संवैधानिक (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967		
@ संवैधानिक (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968		
@ संवैधानिक (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968		
@ संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970		
@ संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978		
@ संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978		
@ संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990'		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अ अधिनियम, 1991		
@ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (दूसरा संशोधन) 2002		
@ संवैधानिक (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित।		
2. ऐसे अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति के व्यक्तियों के बारे में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे में अप्रवजन कर गए हों।		
यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती*को, श्री/श्रीमती/कुमारी*के पिता/माता.....गाँव/नगर* जिला/खंड*राज्य/संघ शासित क्षेत्र*के सामान्य निवासी हैं जो किजाति/जनजाति* से संबंधित हों जिसे राज्य/संघ शासित क्षेत्र.....द्वारा जारी किए गए(जारी करने वाला प्राधिकृत प्राधिकरण का नाम) द्वारा उनकी संख्यादिनांकको जारी किया गया है।		
3. श्री/श्रीमती/कुमारी* और/अथवा* /उसका* परिवार सामान्य रूप से गाँव/नगर*जिला/खंड*राज्य/संघ शासित क्षेत्र* .. में रहते हैं।		
स्थान.....		हस्ताक्षर.....
दिनांक		**पदनाम..... (कार्यालय की मुहर सहित) राज्य/संघ शासित प्रदेश
*जो शब्द लागू न हो वे हटा दिये जाएं। @कृप्या राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का संदर्भ दें। % उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू न हो।		
टिप्पणी : यहां "सामान्य" रहते हैं शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।		
**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिब के प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची।		
(i) जिला मेजिस्ट्रेट/अपर जिला मेजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट/+सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मेजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट (+प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट से पद में कम न हो)		
(ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट		
(iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।		
(iv) उस क्षेत्र के सब डिवीजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और/अथवा उसके परिवार के सदस्य सामान्यतः निवास करते हैं।		
(v) प्रशासक/ विकास अधिकारी (लक्षद्वीप) के प्रशासक/सचिव		
टिप्पणी:-तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति के आवेदक केवल राजस्व प्रभाग अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।		

**भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले
प्रमाण पत्र का प्रपत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री, श्री.....
गांव/नगर.....जिला/प्रभाग.....राज्य/संघ शासित क्षेत्र.....केसमुदाय से
संबंधित है जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्यादिनांक.....* के
तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....और/अथवा उनका/उनके परिवार राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र के
जिला/मंडल.....में सामान्य रूप से रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुरुष/महिला, कार्मिक और
प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93 स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993**, भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित
व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक.....

जिलाधिकारी
उपायुक्त इत्यादि
(कार्यालय की मोहर सहित)

*प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति का उल्लेख अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में किया गया है।

**समय समय पर यथा संशोधित।

टिप्पणी :- यहां "सामान्य" शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

.....सरकार
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय और परिसंपत्तियों का प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र सं.....

दिनांक.....

.....वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपुत्र/पुत्री/पत्नी.....ग्राम/गली.....
.....डाकघरजिला.....पिन कोड.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
.....के स्थायी निवासी हैं, जिसकी तस्वीर नीचे सत्यापित की गई है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित है क्योंकि उस पुरुष/महिला के परिवार** की कुल वार्षिक आय* वित्तीय वर्षके लिए 8 लाख (आठ लाख मात्र) से कम है। उस पुरुष/महिला के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई परिसंपत्ति*** नहीं है :-

- I. 5 एकड़ एवं उससे अधिक कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....जाति से संबंधित हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

आवेदक का हाल का
पासपोर्ट आकार का
सत्यापित फोटो

हस्ताक्षर, कार्यालय की मोहर सहित.....
नाम.....
#पदनाम.....

* नोट : 1. आय में सभी स्रोत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं।

**नोट : 2. इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उस पुरुष/महिला के माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

***नोट : 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/शहरों में "परिवार" की संपत्ति को एकीकृत किया गया है।

आय एवं परिसंपत्ति के प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची

- (i) जिला मेजिस्ट्रेट/अपर जिला मेजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट/तालुका मेजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
- (ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
- (iv) उस क्षेत्र के सब डिविजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में अभ्यर्थी और/अथवा उसके परिवार के सदस्य सामान्य रूप से निवास करते हैं।

केऔसुब कर्मिकों सहित सरकारी विभागों/उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

“प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. श्री/कुमारी/श्रीमती.....केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अंतर्गतके रैंक में एक स्थायी/अस्थायी पद धारक हैं।
2. उन्होंनेको इस विभाग/अधिकारी के पास अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
3. श्री/कुमारी/श्रीमती.....का केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नियुक्ति हेतु चयन होने पर उन्हें कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान :
दिनांक:.....

कार्यालय मोहर के साथ कार्यालय/विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर
कार्यालय प्रमुख का नाम और पदनाम/
नियंत्रण अधिकारी/इकाई प्रभारी

टिप्पणी : सरकारी सेवा में पहले से ही सेवारत अभ्यर्थियों को अपना आवेदन-पत्र उपर्युक्त प्रमाण-पत्र के साथ उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

प्रपत्र-1

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद गतिविधियों में से किसी एक अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)
.....का राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय संघ

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार हेतु एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....
निवासी.....(पूरा पता) ने देश का प्रतिनिधित्व दिनांक.....
से.....तक.....में संपन्न हुईप्रतियोगिता/टूर्नामेंट में किया।

उपरोक्त प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थानरहा।

यह प्रमाण पत्रके राष्ट्रीय संघ/राष्ट्रीय परिसंघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
संघ/राष्ट्रीय परिसंघ का नाम.....
पता.....
मोहर.....

टिप्पणी : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे राष्ट्रीय संघ /राष्ट्रीय परिसंघ के सचिव द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो।

प्रपत्र-2

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद स्पर्धाओं में से किसी एक राष्ट्रीय स्पर्धा में भारत के एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

.....के खेल मेंका एक राज्य फेडरेशन।

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....
निवासी.....(पूरा पता) ने दिनांक.....से.....
तक.....में संपन्न हुईप्रतियोगिता/टूर्नामेंट में राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

उपरोक्त प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थानथा।

यह प्रमाण पत्रराज्य परिसंघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
राज्य परिसंघ का नाम.....
पता.....
मोहर.....

टिप्पणी : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे राज्य परिसंघ के सचिव द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो।

प्रपत्र-3

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद स्पर्धाओं में से किसी एक स्पर्धा में अन्तर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में एक विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

.....विश्वविद्यालय

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....
निवासी.....(पूरा पता) ने विश्वविद्यालय का
प्रतिनिधित्व दिनांक.....से.....तक.....में संपन्न हुई
प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट मेंखेल/स्पर्धा में किया।

उपरोक्त प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थानथा।

यह प्रमाण पत्रविश्वविद्यालय में समग्र प्रभार के अधिकारी अथवा खेलों के डीन के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड
के आधार पर प्रदान किया जाता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

विश्वविद्यालय का नाम.....

पता.....

मोहर.....

टिप्पणी : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसेविश्वविद्यालय के खेलों के समग्र प्रभार के अधिकारी अथवा खेलों के डीन
द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो।

प्रपत्र-4

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद स्पर्धाओं में से किसी एक में विद्यालय के लिए राष्ट्रीय खेलों में राज्य विद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

.....राज्य का लोक अनुदेशक/शैक्षणिक निदेशालय

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....
निवासी.....(पूरा पता) ने दिनांक.....से.....
तक.....में आयोजित स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेलों में.....खेल/स्पर्धा मेंराज्य विद्यालय टीम का
प्रतिनिधित्व किया।

उपरोक्त प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थानथा।

यह प्रमाण पत्रलोक अनुदेशक/निदेशालय के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

पता.....

मोहर.....

टिप्पणी : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे राज्य के लोक अनुदेशक/शैक्षणिक निदेशालय में स्कूलों के लिए खेल/खेलकूद के समग्र
प्रभार के निदेशक अथवा अपर/संयुक्त अथवा उप निदेशक द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो।